

Prahaladpur Banger Industrial Land Owner's Development Society ®

Regd. Off. : Kh. No.53/1, Prahaladpur Banger, Industrial Area, Bawana Road, Delhi-110042

Ref.

AC (PLG) MPPR

Dairy No. 402

Date 22/05/12

Commr. (Plg) - II

Despatch 1931

Date 21-5-12

Date

DR, S.P. BANSAL

Date:-17/05/2012

COMMISSIONER (PLG) DDA- II,

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY,

NEW DELHI

Director (Plg.) MPR/TC,
J.D.A. Vikas Nagar N. DELHI-2
Dy.No. 3369
Dated 23/5/12

R. Bhatia
24/5/12
AC(MPPR)

Respected Sir,

Subject: INCLUSION OF PRAHLADPUR AND MUNDKA IN THE OFFICIAL DOCUMENTS PERTAINING TO INSITU REGULARISATION OF CLUSTERS OF INDUSTRIAL CONCENTRATION

We draw your kind attention to the draft regulation and guidelines for redevelopment of clusters of industrial concentration in non conforming areas / unplanned industrial areas.

We have approached DSIIDC for redevelopment of our cluster and have since been informed that our name doesn't feature in the 'MPD2021' covering 22 notified areas to be developed. Only 20 areas which were notified in the first phase have been named in MPD2021, whereas the following two areas which were subsequently notified have inadvertently not been included in the same:

1. Prahaladpur Bangar having notification no.:1/C/CI/INSITU/Prahaladpur Bangar/7/19 dated 11 September 2007. which was gazetted at Serial No.:157 on 11th September 2007, We enclose herewith a copy of the Gazette Notification, confirming our being one of the 22 notified areas for your ready reference.

Rul 23/5/2012
DFO (MPR)

JB WIT 23/5
AD(PG) I

2. Phirni Road, Mundka & Mundka Udyog Nagar (South Side) having Notification No:F-1/C.I./Policy/INSITU/Phirni Road, Mundka and Mundka, Udyog Nagar/2007/20 dated 17 September 2007

The names of the above two areas are also not featuring in certain parts of Draft Zonal Plans and Draft Regulations and Guidelines based on MPD 2021.

We humbly request you to do the needful by including the above names in all the relevant documents and the intimation of the same may also be sent to all related departments.

Thanking you

Yours faithfully

For Prahaladpur Banger Ind. Land Owner's Dev. Society (Regd.)



(NIPPUN AGGARWAL)

9958052221

nippun.angra@yahoo.co.in

दिल्ली राजपत्र

Delhi Gazette



असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 157]
No. 157]दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 11, 2007/भाद्र 20, 1929
DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 11, 2007/BHADRA 20, 1929[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 164
[N.C.T.D. No. 164

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

श्रम विभाग

आदेश

दिल्ली, 11 सितम्बर, 2007

सं. 12(142)/02/एम. डब्ल्यू/लैब/3436.—जबकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत आने वाले अनुसूचित नियोजनों में न्यूनतम मजदूरी की दरें अधिसूचना संख्या एफ-12 (1 से 29)/92 न्यू वे/लैब, दिनांक 15 फरवरी, 1994 द्वारा पुनरीक्षित की थी।

2. और जबकि, उपरोक्त अधिसूचना में यह अभिलिखित किया गया था कि महंगाई भत्ता, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक वृद्धि अथवा घटत होने पर 1.00 रु. प्रति अंक की दर से, उक्त अधिसूचना के तहत निश्चित न्यूनतम मजदूरी दर के ऊपर, जनवरी से जून व जुलाई से दिसम्बर को औसत मूल्य सूचकांक पर समायोजित होगा।

3. और जबकि अब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, जनवरी 2007 से जून 2007 तक औसत मूल्य सूचकांक का समायोजन करने के बाद एतद्वारा निम्नलिखित महंगाई भत्ते की घोषणा करती

है, जो कि वर्तमान न्यूनतम मजदूरी की दरें, (जिससे अब तक की महंगाई भत्ते की किश्तें शामिल हैं) और जिन्हें आदेश संख्या 12(142)/02/एम. डब्ल्यू/लैब/1016/खंड-4 दिनांक 13 मार्च, 2007 द्वारा निश्चित किया गया था, के ऊपर, सभी श्रेणियों के लिए दिनांक 1 अगस्त, 2007 से देय होगी :-

सभी अनुसूचित नियोजनों में

(सभी श्रेणियों के लिए)

रुपये 46.00 प्रतिमाह

4: इस महंगाई भत्ते के बाद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में न्यूनतम मजदूरी की दरें निम्नानुसार हैं :-

4.1

श्रेणी	1-2-2007 से दरें (रुपये)	महंगाई भत्ता (रुपये)	1-8-2007 से दरें (रुपये) प्रतिमाह	प्रतिदिन
अकुशल	3470.00	46.00	3516.00	135.25
अर्द्ध-कुशल	3636.00	46.00	3682.00	141.60
कुशल	3894.00	46.00	3940.00	151.50

4.2 क्लेरिकल तथा नान-टेक्नीकल सुपरवाइजरी स्टाफ :-

श्रेणी	1-2-2007 से दरें (रुपये)	महंगाई भत्ता (रुपये)	1-8-2007 से दरें (रुपये) प्रतिमाह	प्रतिदिन
नान-मैट्रिकुलेट	3663.00	46.00	3709.00	142.65
मैट्रिकुलेट लेकिन नान-ग्रेजुएट	3918.00	46.00	3964.00	152.45
ग्रेजुएट व उसके ऊपर	4230.00	46.00	4276.00	164.45

टिप्पणी :- आदेश में छेड़-छाड़ के मामले हमारी जानकारी में आये हैं। नियोजक/श्रमिक इन दरों की पुष्टि श्रम विभाग की वेबसाइट—labour.delhigovt.nic.in से कर सकते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप-राज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,
पीयूष शर्मा, संयुक्त सचिव

LABOUR DEPARTMENT

ORDER

Delhi, the 11th September, 2007

F. 12(142)/02/MW/Lab./3436.—Whereas the Government of National Capital Territory of Delhi revised minimum rates of wages in Scheduled Employments covered under the Minimum Wages Act, 1948 in the National Capital Territory of Delhi vide Notification No. F. 12 (1 to 29)/92/MW/Lab. dated 15th February, 1994.

2. And whereas, in the above mentioned notification, it was stipulated that the Dearness Allowance will be payable @ Re. 1.00 per point rise or fall in the Consumer Price Index Numbers on the basis six monthly average index numbers of January to June and July to December.

3. And whereas, now, the Government of National Capital Territory of Delhi, after adjustment of the average Consumer Price Index Number for the period from January, 2007 to June, 2007, hereby declares the following Dearness Allowance, which shall be payable over and above the existing minimum rates of wages (including Dearness Allowance installments announced till date) fixed by the Order No. F. 12(142)/02/MW/Lab./1016/dated 13-3-2007 for all the categories w.e.f. 1st August, 2007.

In all the Scheduled Employments

For all Categories

Rs. 46.00 per month

4. After this Dearness Allowance the minimum rates of wages applicable in the National Capital Territory of Delhi are as under :-

4.1

Category	Rates as on 1-2-2007 (Rupees)	Dearness Allowances (Rupees)	Rates from 1-8-2007 (Rupees)	
			Per-Month	Per-Day
Un-skilled	3470.00	46.00	3516.00	135.25
Semi Skilled	3636.00	46.00	3682.00	141.60
Skilled	3894.00	46.00	3940.00	151.50

4.4 Clerical and Non-Technical Supervisory Staff :-

Category	Rates as on 1-2-2007 (Rupees)	Dearness Allowances (Rupees)	Rates from 1-8-2007 (Rupees)	
			Per-Month	Per-Day
Non-matriculates	3663.00	46.00	3709.00	142.65
Matriculates but not graduates	3918.00	46.00	3964.00	152.45
Graduates and above	4230.00	46.00	4276.00	164.45

N. B.—Case of tampering with the order have come to our notice. Employers/Workers may confirm rates from Website of Labour Department—labour.delhigovt.nic.in

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the
National Capital Territory of Delhi,
PIYUSH SHARMA, Jt. Secy.

खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता कार्य विभाग**अधिसूचना**

दिल्ली, 11 सितम्बर, 2007

सं. फा. 50 (69)/खाद्य एवं पूर्ति/सनम्ब./2007/2077.—खाद्य एवं पूर्ति मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की दिनांक 15 मई, 1987 की अधिसूचना सं. का. आ. 469(अ) के साथ पठित उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का 68) की धारा 30 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल दिल्ली उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, 1987 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ :- (1) इन नियमों को दिल्ली उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) नियमावली, 2007 कहा जाएगा।

(2) ये 10 अप्रैल, 2006 से लागू समझे जाएंगे।

2. नियम 3 का संशोधन :- दिल्ली उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, 1987 (यहां बाद में "मूल नियमावली 8 के रूप में उल्लिखित) के नियम 3, उप-नियम (2) के खंड (ii) में "पाँच हजार रुपये प्रतिमाह" शब्दों के स्थान पर "नौ हजार पाँच सौ रुपये प्रतिमाह" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जायेगा।

3. नियम 6 का संशोधन :- मूल नियमावली के नियम 6 में, उप-नियम (2) के खंड (ख) में "पाँच हजार रुपये प्रतिमाह" शब्दों के स्थान पर "नौ हजार पाँच सौ रुपये प्रतिमाह" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जायेगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

नूतन गुहा बिश्वास, सचिव

**FOOD SUPPLIES AND CONSUMER
AFFAIRS DEPARTMENT
NOTIFICATION**

Delhi, the 11th September, 2007

No. F. 50(69)/F & S/CA/2007/2077.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 30 of the Consumer Protection Act, 1986 (68 of 1986) read with the Government of India, Ministry of Food and Civil Supplies, New Delhi's Notification No. S.O. 469(E) dated the 15th May, 1987, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby, makes the following rules further to amend the Delhi Consumer Protection Rules, 1987, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Delhi Consumer Protection (Amendment) Rules, 2007.

(2) They shall be deemed to have come into force with effect from 10th April, 2006.

2. Amendment of rule 3.—In the Delhi Consumer Protection Rules, 1987 (hereinafter referred to as "the principal Rules") in rule 3, in clause (ii) of sub-rule (2), for the words "five thousand rupees per month" the words "nine thousand five hundred per month" shall be substituted.

3. Amendment of rule 6.—In the principal Rules, in rule 6, in clause (b) of sub-rule (2), for the words "five thousand rupees per month", the words "nine thousand five hundred per month" shall be substituted.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,
NUTAN GUHA BISWAS, Secy.

उद्योग विभाग**अधिसूचना**

दिल्ली, 11 सितम्बर, 2007

सं. फा. 1/सी/सीआई/नीति/इनसीडू/प्रहलादपुर बांगर/2007/19.—जबकि केन्द्रीय सरकार ने शहरी विकास मंत्रालय (दिल्ली प्रभाग) की दिनांक 7 फरवरी, 2007 की अधिसूचना सं. का. आ. 141(अ), दिल्ली का मास्टर प्लान वर्ष, 2021 में परिदृश्य के साथ अनुमोदित किया गया है, जो दिल्ली के वर्ष, 2001 के परिदृश्य के मास्टर प्लान के विस्तृत संशोधन में था;

और जबकि दिल्ली के मास्टर प्लान के वर्ष, 2021 के परिदृश्य में नॉन-कनफर्मिंग क्षेत्रों में औद्योगिक सघनता के आवास समूहों के पुनर्विकास के लिए नियम बनाए गए हैं;

और सर्वेक्षण के आधार पर दिल्ली राज्य औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम तथा उप-मंडल मजिस्ट्रेट, नरेला द्वारा पुष्टि भी की गई है कि प्रहलादपुर बांगर, एक नॉन-कनफर्मिंग एरिया, स्थित औद्योगिक समूह में है जिसका दिल्ली के मास्टर प्लान, 2021 की शर्तों के अनुसार पुनर्विकास करने के लिए विचार किया जाना है (रेखाचित्र योजना अनुलग्नक-क पर) और इसकी सीमाएँ निम्न प्रकार से हैं :- सीमाएं :-

पूर्व - खुली भूमि तथा 80 मीटर चौड़ी रोड जो जी.टी. करनाल रोड को रोहतक रोड के साथ जोड़ती है।

पश्चिम - पूठ कलां रोड।

उत्तर - खुली भूमि।

दक्षिण - 80 मीटर चौड़ी रोड जो जी.टी. करनाल रोड को रोहतक रोड के साथ जोड़ती है।

इसलिए अब, दिल्ली मास्टर प्लान के उपबंधों के अनुसरण में वर्ष 2021 के परिदृश्य सहित तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा पूर्वोक्त औद्योगिक समूह पुनर्विकास को ठक खंड के उपबंधों के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के अंतर्गत अधिसूचित करती है :-

1. पुनर्विकास योजना संबंधित स्थानीय निकाय/भूमि का स्वामित्व रखने वाले अधिकरण द्वारा सोसायटी (भू-स्वामी द्वारा गठित) के परामर्श से खंड 7.6.2.1 में वर्ष, 2021 के दिल्ली मास्टर प्लान के लिए विनिर्दिष्ट शर्तों के आधार पर तैयार की जाएगी।

2. पुनर्विकास की प्रक्रिया नियोजित रूप से सरकारी निजी भागीदारी रूपरेखा के अंतर्गत की जाएगी जिसमें उद्यमी बेहतर तथा उपयुक्त संचालन के परवर्ती अनुरक्षण तथा अनुरक्षण व्यवस्था के लिए योगदान करेंगे और पुनर्विकास प्रक्रिया में सड़कों को चौड़ा करने, सेवाओं की लाइन डालने,


खुले स्थान तथा पार्किंग आदि के पुनर्विकास की योजना तैयार करना शामिल होगा।

3. ऐसी सभी विनिर्माण इकाइयाँ, जो उद्योगों के पुनर्स्थापना स्कीम के अंतर्गत किसी प्लॉट के आबंटन का लाभ ले चुका है, उसे आर्बाइटेड प्लॉट लौटाना होगा तथा ऐसा न किए जाने पर उक्त औद्योगिक समूह में उसे गतिविधि बन्द करनी होगी तथा इकाई के बंद होने के परिणामस्वरूप उपलब्ध प्लॉट को

पुनर्विकास स्कीम के अंतर्गत उस प्लॉट के लिए निश्चित प्रयोग के लिए रखा जाएगा तथा यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अधिकार में होगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,
नरेंद्र कुमार, सचिव एवं आयुक्त (उद्योग)

अनुलग्नक "क"



अनुलग्नक "ख"

दिल्ली का मास्टर प्लान, 2021

7.0 उद्योग

दिल्ली के 2001-2002 आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार दिल्ली में 1998 में लगभग 1,29,000 औद्योगिक इकाइयां थीं, जबकि 1991 में इसके विपरीत 85,050 इकाइयां थीं। घर-घर जाकर सर्वेक्षण करने पर औसत इकाई में नियुक्त 9 कर्मचारी जबकि 30 प्रतिशत इकाइयों में नियुक्त कर्मचारी 4 या उससे कम पाए गए। सर्वेक्षण करने पर यह भी पाया गया कि टैक्सटाइल्स उत्पाद (गार्मेंट्स) इकाइयों की संख्या सबसे अधिक थी और उसके बाद भस्मयुक्त सेवाएं और विद्युत मशीनों की संख्या थी। निम्नलिखित तालिका औद्योगिक इकाइयों और रोजगार की वृद्धि को दर्शाती है :

वर्ष	उद्योगों की संख्या	कर्मचारियों की संख्या
1981	42,000	5,68,910
1991	85,050	7,30,951
1998	1,29,000	14,40,000

स्रोत : दिल्ली 2001-2002 का आर्थिक सर्वेक्षण।

दिल्ली में उद्योगों का मुद्दा, गत दशक से विस्तृत विवाद, विरोध से संबद्ध कारण बनता आ रहा है। मुख्य रूप से इसका केन्द्र बिन्दु, प्रदूषण और उद्योगों का पर्यावरणीय दुष्प्रभाव, नॉन-कन्फॉर्मिंग क्षेत्रों में उद्योगों की निरन्तर वृद्धि और घरेलू उद्योगों के संदर्भ में उनका वर्गीकरण और उनकी अनुपेक्षता रहा है। दिल्ली मुख्य योजना में प्रावधानों के उल्लंघन में उद्योगों की पुनः बढ़ोतरी पर गम्भीर आपत्ति व्यक्त की गई है।

7.1 कार्यनीति

उपर्युक्त स्थिति को दृष्टि में रखते हुए और दिल्ली में जनसंख्या वृद्धि के निरन्तर दबाव के संदर्भ में औद्योगिक सेक्टर के लिए निम्नलिखित बृहत नीति की आवश्यकता होगी :

- (1) हाई-टैक और लो-वॉल्यूम-उच्च मूल्य से युक्त उद्योग को बढ़ावा देना जो अधिक श्रम के न हों।
- (2) आधुनिकीकरण को प्रोत्साहित करना और नगर के लोगों की दिनों दिन की आवश्यकताओं के लिए अपेक्षित विद्यमान उद्योगों, को शिल्प-वैज्ञानीय तरीके से ऊंचा उठाना।

(3) पर्यावरणीय और अन्य प्रतिमानकों की दृष्टि से असंगत औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योगों के संबंध में दोष निवारक उपायों को अपनाएं, जैसा भी निर्धारित किया जाए।

(4) भूमि उपयोग के प्रतिमानकों के अनुसार असंगत औद्योगिक इकाइयों के स्थानान्तरण और पुनर्स्थापन के लिए उपयुक्त प्रोत्साहन और अप्रोत्साहन तथा अन्य मापदंडों को निर्धारित करना।

(5) प्रदूषण नियंत्रण प्रतिमानकों और पर्यावरणीय घरेलू औद्योगिक स्वीकार्यता, अग्नि सुरक्षा विनियमों और अन्य संगत कारण, विशेषतया आधारभूत सेवाओं के पहलुओं को ध्यान में रखते हुए घरेलू औद्योगिक इकाइयों की अनुपेक्षता के कार्यक्षेत्र को बढ़ाने की पुनरीक्षा की जाए।

7.2 उद्योगों का वर्गीकरण

औद्योगिक वर्गीकरण को निषेध वर्ग और अनिषेध वर्ग के साथ, सरल करना प्रस्तावित है ताकि विभिन्न उपयोग के जोनों में उद्योगों की विशेष श्रेणी के संबंध में अनुमति के लिए प्रस्ताव दिया जा सके। इसके अलावा सभी नियोजित औद्योगिक क्षेत्रों को एकमात्र भूमि उपयोग श्रेणी नामतः "उद्योग" के अन्तर्गत नामित किया जाए। प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित मानकों को सभी औद्योगिक इकाइयों के द्वारा विशेष श्रेणियों में पूरा किया जाएगा और इसके अलावा विशेष श्रेणियों में विशेष क्षेत्रों-जैसे कर्मियों की संख्या और पावर भार के मानकों को भी पूरा करना होगा।

मान्यताओं के आधार पर निषिद्ध श्रेणी (अनुबंध-III) के अंतर्गत सूचीबद्ध उद्योगों को दिल्ली में स्थापित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। निषिद्ध श्रेणी के अन्तर्गत विद्यमान औद्योगिक इकाइयों को तीन वर्षों की अवधि के अन्दर संगत क्षेत्रों में स्थानान्तरित करने या उन्हें दिल्ली के बाहर पुनः बसाने की आवश्यकता है।

7.3 विभिन्न उपयोग जोनों और उपयोग परिसरों में औद्योगिक इकाइयों की स्वीकार्यता/अनुपेक्षता

औद्योगिक वर्गीकरण के लिए उपर्युक्त मानदंडों की सीमाएं उद्योगों की प्रकृति, क्षेत्र और औद्योगिक विकास की प्रकृति के अनुसार निर्धारित की जाएगी। औद्योगिक इकाइयों के लिए निर्धारित मानदंड तालिका 7.1 में दिए गए हैं।

तालिका 7.1. विभिन्न उपयोग जोनों और उपयोग परिसरों में औद्योगिक इकाइयों के लिए मानदंड

उपयोग जोन/ उपयोग परिसर	अनुमत समूह (अनुबंध देखें)	शतें	
		श्रमिकों की अधिकतम संख्या	अधिकतम औद्योगिक पावर भार (कि.वा.)
(1)	(2)	(3)	(4)
आवासीय उपयोग			
(क) आवासीय	ए	5	5
(ख) गांव (आबादी)	ए + ए 1	5	5

(1)	(2)	(3)	(4)
व्यावसायिक उपयोग			
(क) सुविधा बाजार स्थानीय बाजार	ए+ए 1+बी	5	11
(ख) समुदाय केन्द्र	अनुमेय उद्योगों		
(ग) जिला केन्द्र	की सेवा/भरममत	9	11
(घ) सर्विस मार्किट, सर्विस सेंटर	पेकेजिंग/असैम्बली (बिना विनिर्माण)	19	11
औद्योगिक उपयोग			
(क) प्लाटीकृत विकास	निषेध और प्रदूषण फैलाने वाले एवं हानिकर उद्योगों को छोड़कर सभी उद्योग	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार
(ख) फ्लैटेड उद्योग	निषेध उद्योगों को छोड़कर सभी उद्योग एवं प्रदूषण रहित और गैर- हानिकर प्रकृति के उद्योग, शोर/पानी/ वाइब्रेशन/गंध द्वारा प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को छोड़कर	20	आवश्यकतानुसार

टिप्पणी :

- (1) श्रमिकों की अधिकतम संख्या सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचना के अनुसार होगी।
- (2) प्रदूषण नियंत्रण साधनों और अविनिर्माण उपयोग को चलाने के लिए अपेक्षित पावर उल्लेखित स्वीकार्य भार के अतिरिक्त होगी।
- (3) विकासशील केन्द्रों (ग्रोथ सेक्टरों में) विद्यमान औद्योगिक सम्पदाएं औद्योगिक उपयोग के रूप में मानी जाएंगी।

7.4 घरेलू/सेवा उद्योग

- (1) अधिकतम 5 कर्मचारियों और 5 कि.वा. पावर सहित घरेलू औद्योगिक इकाइयों की अनुमति आवासीय क्षेत्रों में दी जानी चालू रखी जाए और इस प्रकार की नई औद्योगिक इकाइयों की अनुमति आवासीय क्षेत्रों में इस शर्त के साथ दी जाए कि किसी भी प्रदूषण वाली औद्योगिक इकाई की अनुमति घरेलू उद्योग के रूप में नहीं दी जाएगी।
- (2) औद्योगिक इकाइयों की अनुमति केवल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा अन्तिम पंजीकरण के बाद ही दी जाएगी।
- (3) घरेलू औद्योगिक इकाइयों की अनुमति किसी भी तल पर आवासीय इकाई के अनुमेय भूतल कवरेज की 50 प्रतिशत सीमा तक दी जाएगी।
- (4) घरेलू उद्योगों की सूची में और परिवर्धन/परिवर्तन, यदि केन्द्रीय सरकार उचित और जनहित में समझे किया जा सकता है।
- (5) किसी भी ज्वलनशील अथवा खतरनाक पदार्थ के स्टोर करने की अनुमति नहीं है।

- (6) घरेलू उद्योग स्थापित करने के लिए अलग औद्योगिक बिजली का कनेक्शन (सिंगल फेस) लगवाना जरूरी होगा। इसी प्रकार नगरपालिका का लाइसेंस भी आवश्यक होगा।

7.5 कोई औद्योगिक कार्यकलाप जोन नहीं

नगर के परिवेश और दिल्ली के महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक क्षेत्रों में प्रदूषणमुक्त पर्यावरण बनाए रखने के लिए निम्नलिखित स्थान "औद्योगिक कार्यकलाप के बिना जोन" के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं, जहां घरेलू उद्योग सहित किसी प्रकार के औद्योगिक कार्यकलाप की अनुमति नहीं दी जाएगी :-

- (क) लुटियन का बंगला जोन
- (ख) सिविल लाईन्स बंगला क्षेत्र
- (ग) नियोक्ता आवास
- (घ) समूह आवास (जनता फ्लैटों को छोड़कर)

7.6 औद्योगिक क्षेत्र**पुनर्विकास स्कीमें**

पुनर्वास स्कीमों के अन्तर्गत निम्नलिखित पहलू आते हैं :

- (1) विद्यमान नियोजित औद्योगिक क्षेत्रों का आधुनिकीकरण और उनका सुधार, और
- (2) दो मुख्य योजनाओं के दौरान जो क्षेत्र औद्योगिकीकृत हो गए उनका पुनर्विकास, भले ही उनको इस प्रकार नामित न किया गया हो।

7.6.1 विद्यमान नियोजित औद्योगिक क्षेत्र

इन औद्योगिक क्षेत्रों का विकास 70वें दशक और उसके बाद के वर्षों के दौरान हुआ। इनकी हालत भौतिक आधारिक संरचना की दृष्टि से बहुत खराब हो चुकी है और कुछ मामलों में कुल मिलाकर इनमें बहुत कमियाँ आ गई हैं। इसके अतिरिक्त, कुछ क्षेत्रों में कार्यकलापों की प्रकृति में परिवर्तन हो गए हैं और ये मांगें भी आई हैं कि प्लाटों के कुछ भागों को उन कार्यकलापों के लिए प्रयोग करने दिया जाए जिनको व्यावसायिक रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। यह भी विचार करने को आवश्यकता है कि क्या और सचनता, इस दृष्टि से संभव है कि काफी संख्या में उद्योगों/इकाइयों को समाहित करने के लिए सब-डिविजनों द्वारा छोटे प्लाट बनाए जाएं। विद्यमान औद्योगिक क्षेत्रों के पुनर्विकास हेतु दिशा-निर्देश रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार और स्थानीय निकाय के परामर्श से दि.वि.प्रा. द्वारा 2 वर्षों के अंदर तैयार किए जाएंगे। उस समय तक, विद्यमान उप-विभाजन जारी रखे जाएं।

इस प्रकार विद्यमान औद्योगिक क्षेत्रों के पर्यावरणीय पहलू को ध्यान में रखते हुए आधुनिकीकरण और सुधार करने की आवश्यकता है। चूंकि अधिकतर औद्योगिक क्षेत्र व्यापक सार्वजनिक परिवहन कॉरिडोरों के साथ अवस्थित हैं, इसलिए पुनर्विकास की प्रक्रिया से इन क्षेत्रों के हर्ड-गिर्द उपयोग को संभावित बनाने की जरूरत है।

सुधार और पुनर्विकास की इस प्रक्रिया को नियोजित तरीके और सार्वजनिक-निजी भागीदारी से चालू करने की आवश्यकता है, जिसमें उसके विकास और उचित प्रचालन और रख-रखाव प्रबंधों द्वारा बाद का रखरखाव करने के लिए उद्यमी व्यवस्था करें।

7.6.1.1 औद्योगिक कार्यकलाप, 'भूमि उपयोग योजना' में यथा निर्दिष्ट औद्योगिक उपयोग जोन में, निम्नलिखित स्थानों पर चलाए जाएंगे :-

जोन ए से एच तक

नारायणा औद्योगिक क्षेत्र, झंडेवालान फ्लैटिड फैक्टरी, मोतियाखान स्कीम, डी सी एम फ्लैटिड फैक्टरी कॉम्प्लैक्स, शाहजादा बाग औद्योगिक क्षेत्र, गुलाबी बाग औद्योगिक क्षेत्र, राजस्थान उद्योग नगर जी.टी. रोड जहांगीरपुरी के निकट, एस एम ए सहकारी औद्योगिक सम्पदा जी.टी. रोड जहांगीरपुरी के निकट, एस आई एस आई औद्योगिक क्षेत्र जी.टी. रोड निकट जहांगीरपुरी, जी.टी. करनाल रोड औद्योगिक क्षेत्र निकट राणा प्रताप बाग, हिंदुस्तान प्री-फैब लिमिटेड औद्योगिक क्षेत्र निकट शिवाजी रेलवे स्टेशन (मिन्टो रोड), ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेज-1, 2 एवं 3, मोहन सहकारी औद्योगिक क्षेत्र, एस आई एस आई परिसर ओखला निकट मोदी मिल्स, नजफगढ़ रोड औद्योगिक

क्षेत्र निकट जखीरा, कीर्ति नगर औद्योगिक क्षेत्र, मायापुरी फेज 1 एवं 2, उद्योग नगर, रोहतक रोड, केशवपुर लैडर टैनरी स्कीम (सेवा केन्द्र का भाग) विकासपुरी के निकट, वजौरपुर औद्योगिक क्षेत्र, लार्सेंस रोड औद्योगिक क्षेत्र, मंगोलपुरी औद्योगिक क्षेत्र फेज-1 एवं 2, झिलमिल औद्योगिक क्षेत्र, पटपड़गंज औद्योगिक क्षेत्र, फ्रेंड्स कालोनी औद्योगिक क्षेत्र, नरेला औद्योगिक सम्पदा, बवाना औद्योगिक सम्पदा, कंझावला औद्योगिक सम्पदा, पी वी सी बाजार टिकरी कलां :

(क) अतिरिक्त औद्योगिक क्षेत्रों को शहरी विस्तार क्षेत्रों की योजनाएं तैयार करते समय दर्शाया जाएगा।

(ख) अनुमोदित 'कार्य एवं उद्योग केन्द्र' सेवा केन्द्र आदि, जहां पर विकास कार्य भूमि उपयोग/पूर्व की मुख्य योजनाओं के अनुसार किए गए हैं, वे निर्दिष्ट प्रावधानों की अनुरूपता की शर्त पर उद्योग के रूप में जारी रहेंगे।

7.6.2 अनियोजित औद्योगिक क्षेत्रों का पुनर्विकास

नियोजित औद्योगिक क्षेत्रों के अलावा, दिल्ली सरकार ने समूह में 70 प्रतिशत से अधिक प्लाटों की संख्या के औद्योगिक कार्यकलापों वाले निम्नलिखित असंगत औद्योगिक समूहों को पुनर्विकास हेतु अधिसूचित कर दिया है :-

1. आनंद पर्वत
2. शाहदरा
3. समयपुर बादली
4. जवाहर नगर
5. सुल्तानपुर माजरा
6. हस्तसाल पाकेट-ए
7. नरेश पार्क, एक्सटेंशन
8. लिबासपुर
9. पीरागढ़ी गांव
10. ख्याला
11. हस्तसाल पाकेट-डी
12. शालीमार गांव
13. नई मंडोली
14. नवादा
15. रिठाला
16. स्वर्ण पार्क मुंडका
17. हैदरपुर
18. करावल नगर
19. डाबरी
20. बसई दारापुर

पुनर्विकास की प्रक्रिया में सड़कों को चौड़ा करने, सेवाओं की व्यवस्था करने, खुले स्थान और पार्किंग का विकास आदि शामिल है।

व्यावहारिक रूप से इन क्षेत्रों में सेवाओं की दृष्टि से कमियाँ हैं और ये पर्यावरण के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं। इन क्षेत्रों का पुनर्विकास स्पष्ट रूप से परिभाषित मापदण्डों के आधार पर होना चाहिए, जिसमें उद्योगों के प्रकार, जिनकी अनुमति दी जाए, योजना मानदंड और अनिवार्य आधारिक संरचना की व्यवस्था से संबंधित पर्यावरणीय शर्तें शामिल हों और इनका विकास योजनाबद्ध तरीके से स्वामियों/उद्यमियों की भागीदारी से होना चाहिए।

7.6.2.1 नॉन-कन्फॉर्मिंग क्षेत्रों में ध्यान दिए जाने वाले औद्योगिक समूहों के पुनर्विकास के लिए मानदंड

विद्यमान वास्तविकताओं और नियोजित विकास की अनिवार्यताओं को ध्यान में रखते हुए पुनर्विकास प्रक्रिया में निम्नलिखित मानदंड अपनाने होंगे :

औद्योगिक कार्यकलाप/उपयोग के अंतर्गत 70% से अधिक के प्लाटों के समूह वाले कम-से-कम 4 हैक्टेयर के जुड़े हुए क्षेत्र के नॉन-कन्फॉर्मिंग क्षेत्रों में ध्यान दिये जाने वाले औद्योगिक समूहों पर वास्तविक सर्वेक्षणों के आधार पर निर्धारित किए गए क्षेत्र के पुनर्विकास के लिए विचार किया जा सकता है। ऐसे समूहों को रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने के बाद, पुनर्विकास स्कीम संबंधित स्थानीय निकाय/भूमि-स्वामी एजेंसी द्वारा सोसाइटी (जो भू-स्वामियों द्वारा बनाई जाए) के परामर्श से तैयार की जाएगी। इसके लिए निम्नलिखित मानदंड/शर्तें होंगी :

- (1) इसमें न्यूनतम 18, मी. मार्गाधिकार की सड़क से पहुंच मार्ग होना चाहिए।
- (2) पुनर्विकास योजना को तैयार करने के लिए, प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरणीय प्रबंधन, सेवाओं और पार्किंग एवं रख-रखाव कार्य के विकास के लिए सोसाइटी का गठन करना अनिवार्य है।
- (3) केवल अनुमेष उद्योग, जिन्होंने डी.पी.सी.सी. से अनापत्ति ले ली हो, उन्हें ही अनुमति प्रदान की जाएगी।
- (4) पुनर्विकास हेतु प्लाटों को मिलाना और उनका पुनर्गठन करना भी अनुमेष होगा।
- (5) सभी इकाइयों को संवैधानिक अनापत्ति प्रमाण-पत्र लेना होगा। औद्योगिक इकाइयों के बिजली के भी अलग कनेक्शन होंगे।
- (6) अन्य जुड़ने वाले अनुबंध-
 - (क) कम-से-कम 10% क्षेत्र सर्कुलेशन/रोड/सर्विस लेनों के लिए सुरक्षित होगा।
 - (ख) पार्किंग और लोडिंग/अनलोडिंग क्षेत्रों के लिए सेमी-परमीयेबल सरफेस का कम से कम 10%।
 - (ग) मानदंडों के अनुसार सी.ई.टी.पी., सब स्टेशनों, पम्प हाउस, फायर स्टेशन, पुलिस पोस्ट आदि की तरह आधारभूत संरचना की आवश्यकताओं के लिए कुल क्षेत्रफल का न्यूनतम 10%।
 - (घ) पम्पिंग स्टेशनों, स्टोरेज टैंकों, ग्राउंड वाटर

रिचार्जिंग/रेनवाटर हार्वैस्टिंग की आवश्यकता के साथ दिल्ली जल बोर्ड/केन्द्रीय भू-जल प्राधिकरण (जहां भी आवश्यक हो) से जल आपूर्ति की योजना बनाना।

- (ङ) समूह क्षेत्रफल 8% क्षेत्र पाक/ग्रीन बफरों के लिए सुरक्षित रखा जाएगा।
- (च) 100 वर्ग मी. से अधिक के प्लाटों में कम से कम 9.0 मी. का मार्गाधिकार रखना होगा।
- (छ) 100 वर्ग मी. से कम के प्लाटों में कम-से-कम 7.5 मी. का मार्गाधिकार रखना होगा।
- (ज) 60 वर्ग मी. से नीचे के प्लाटों के लिए कॉमन पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी, जबकि 60 वर्ग मी. से अधिक के प्लाटों के लिए फ्रंट सैट बैक (कम से कम 3 मी.) लोडिंग और अनलोडिंग और पार्किंग के लिए बिना बाउन्डरी वॉल के दी जाएगी।

- इनेज प्लान,

- (7) अन्य प्रावधान/विकास नियंत्रण प्रतिमानक आदि विकास संहिता में दिए गए अनुसार होंगे। दि.वि.प्रा. की तकनीकी समिति मूल शर्तों के आधार पर मानकों में 10% तक की छूट दे सकती है।

पुनर्विकास कार्य समितियों द्वारा ऐच्छिक रूप से अथवा संबंधित निकाय/एजेंसियों द्वारा किया जाएगा। यदि एजेंसियां निष्पादनार्थ पुनर्विकास कार्य आरंभ कर देती हैं, तो उन्हें प्रत्येक उद्योग से स्वयं सीधे ही प्रभार एकत्र करना होगा। भूमि उपयोग में परिवर्तन, बड़े हुए एफ.ए.आर. और भूमि (जहां भी लागू होगा) हेतु आवश्यक प्रभारों का भुगतान भी संबंधित प्राधिकरण को किया जाएगा। पुनर्विकास, दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के अन्दर ही पूर्ण किया जाएगा, जैसा कि अनुमोदित प्रत्येक प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट किया जाए। समूहों में इकाइयां, जो उपर्युक्त विनिर्दिष्ट अवधि के अन्दर पुनर्विकास के प्रस्तावों को पूरा करने में असफल हुईं तो उन्हें अन्य संगत औद्योगिक क्षेत्रों में स्थानांतरित करना पड़ेगा और जो इकाइयां नॉन-कन्फॉर्मिंग समूहों में कार्य कर रही हैं उन्हें बंद करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में लाइसेंसिंग प्राधिकारी, सक्षम प्राधिकारी से उपयोग भूमि के लिए अनापत्ति प्राप्त किए बिना औद्योगिक इकाइयों को लाइसेंस का नवीकरण/नए लाइसेंस जारी नहीं करेगा।

निम्नलिखित क्षेत्र, पुनर्विकास स्कीम के लिए पात्र नहीं होंगे :-

बंगला जोन्स (नई दिल्ली और सिविल लाइन्स) रिज, रिवर बैंड (जोन-ओ), जल निकायों सहित क्षेत्र, नहरें, सुरक्षा के दृष्टिकोण से संवेदनशील क्षेत्र, संरक्षण एवं विरासत सम्पत्ति क्षेत्र, आरक्षित/सुरक्षित जंगल, डीडीए प्लैट, को-आपरेटिव ग्रुप हाऊसिंग सोसाइटी, सरकारी प्लैट/बंगले/नियोक्ता आवास आदि और उनकी तुरंत निकटता।

7.7 नए औद्योगिक क्षेत्र

रा.रा. क्षेत्र दिल्ली के हरित क्षेत्रों में नए औद्योगिक क्षेत्रों का विकास मुख्यतः विद्यमान उद्योगों के पुनर्स्थापन के उद्देश्य से और

सीमित प्रकार के नए उद्योगों का विकास निम्नलिखित प्रयोजनों से किया जाना चाहिए :

- (क) अनुमेय उद्योगों का उन असंगत क्षेत्रों से पुनर्स्थापन करना, जो नियमितिकरण/पुनर्विकास के योग्य नहीं हैं।
- (ख) हाई-टेक उद्योगों हेतु हरित क्षेत्र स्थल /रा.क्षेत्र, दिल्ली में नए औद्योगिक कार्य-कलापों को हाई-टेक क्षेत्रों के लिए निम्नानुसार सीमित किया जाना चाहिए :-
 - (i) कम्प्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री तथा कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर का उपयोग करने वाले सिस्टम इन्टीग्रेशन के उद्योग।
 - (ii) पैकेजिंग।
 - (iii) कम्प्यूटर और टेलीकॉम सुविधाओं के इंटरफेसों को एकीकृत करके संचालित करने वाले उद्योग।
 - (iv) डाटाबेस उपलब्ध करके अथवा विश्व भर में फैले हुए डाटाबेस तक पहुंच कर उपयोगों की सूचना आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले उद्योग।
 - (v) सूचना प्रौद्योगिकी के विभिन्न अथवा सभी भागों की परिष्कृत जांच हेतु सुविधाएं प्रदान करने वाले उद्योग।
 - (vi) इलैक्ट्रॉनिक सामान।
 - (vii) टी.वी. और अन्य इलैक्ट्रॉनिक मर्चें की सर्विस एवं मरम्मत।
 - (viii) फोटो कम्पोजिंग और डेस्कटॉप प्रकाशन।
 - (ix) टी.वी. और वीडियो प्रोग्राम प्रोडक्शन।
 - (x) वस्त्र डिजाइनिंग और फैब्रिक टेस्टिंग आदि।
 - (xi) बायो-टेक्नोलॉजी।
 - (xii) टेलीकम्यूनिकेशन और एनैबलिंग सर्विसेज।
 - (xiii) जेम्स और ज्वैलरी।

7.8 औद्योगिक उपयोग

जोन-मार्गनिर्देश

औद्योगिक उपयोग जोन का उपयोग परिसरों में उप विभाजन और उसके बाद औद्योगिक सम्पदाओं के लिए ले-आउट नक्शों का अनुमोदन निम्नलिखित मानदण्डों द्वारा शासित होगा :-

- (i) विकसित किए जाने वाले नए औद्योगिक क्षेत्रों का भूखंडीय विकास पृथक औद्योगिक इकाइयों के लिए किया जा सकता है। पहले से अनुमोदित योजनाओं को छोड़ कर नए औद्योगिक क्षेत्रों के औद्योगिक प्लॉटों का अधिकतम आकार 400 वर्ग मीटर होगा।
- (ii) औद्योगिक क्षेत्रों में अपेक्षित सुविधाओं के लिए भूमि का प्रबंध तालिका 7.2 में दिए गए मानदण्डों के अनुरूप होगा।
- (iii) सभी नई औद्योगिक सम्पदाओं के लिए पहुंच मार्ग 30 मीटर मार्गाधिकार वाली सड़क से होगा।

(iv) 100 वर्ग मीटर से कम आकार के प्लॉट और 100 वर्ग मीटर से अधिक आकार के प्लॉट क्रमशः 9 मीटर मार्गाधिकार और 12 मीटर मार्गाधिकार की सड़क के सामने होंगे।

(v) प्रत्येक औद्योगिक प्लॉट जो परिधीय रोड पर स्थित है, को हरित बफर को छोड़ने के बाद सम्पूर्ण सेवा रोड से रास्ता मिलेगा।

(vi) एक हैक्टे से अधिक आकार के सूचीबद्ध जलाशयों और/या अन्य जल निकायों को भू-दृश्यांकन योजना में व्यवस्थित रूप से सम्मिलित करना अनिवार्य है।

(vii) औद्योगिक क्षेत्रों में परिधीय/पहुंच मार्गों के साथ कम-से-कम 10 मीटर चौड़ा हरित क्षेत्र उपलब्ध कराया जाएगा।

(viii) बरसाती पानी के संग्रहण की व्यवस्था भू-दृश्यांकन के समग्र भाग के रूप में और बरसाती नाले की योजना के ले-आउट नक्शों के अनुमोदन के समय तैयार की जाएगी।

(ix) सभी पार्किंग और लोडिंग/अनलोडिंग क्षेत्रों में अर्ध पारगम्य तल की कम से कम 30 प्रतिशत व्यवस्था होगी।

(x) ऑटोमोबाइल धुलाई क्षेत्र के समीप ग्रीस ट्रैप्स की व्यवस्था होनी चाहिए।

(xi) नए औद्योगिक क्षेत्र मुख्य सड़कों के साथ-साथ अवस्थित होने चाहिए। मुख्य आधारिक संरचना नेटवर्क जैसे सी.एन. जी., एल.पी.जी., तेल, ऑप्टिकल, फाइबर, विद्युत आदि की व्यवस्था इस कॉरिडोर के साथ-साथ भूमिगत पाइप लाइनों द्वारा कराई जाए।

(xii) औद्योगिक क्षेत्र का अधिकतम उपयोग प्लैटिड फैक्टरी परिसरों का विकास करके किया जाना चाहिए।

(xiii) सभी उद्योगों में निपटान से पूर्व ठोस कचरे (सोलिड वेस्ट) को अलग करने की व्यवस्था होनी चाहिए। कोई भी अशोधित कूड़ा-कचरा औद्योगिक क्षेत्र से बाहर जलाशयों, खुले क्षेत्रों आदि में डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कूड़े-कचरे का प्राथमिक शोधन आवश्यकतानुसार प्लॉट स्तर पर ही किया जाएगा।

(xiv) सी.ई.टी.पी., कूड़ा अलग करने/शोधन संयंत्र की व्यवस्था औद्योगिक समूह स्तर पर की जाए।

(xv) संबंधित एजेंसी किसी भी प्रकार की आपात्कालीन स्थिति जैसे आग, विस्फोट, अचानक गैस रिसने या अन्य प्राकृतिक विपत्ति जैसे भूकम्प, बाढ़ आदि से पैदा होने वाली स्थितियों से निपटने के लिए उपयुक्त आपदा प्रबंध करेगी।

(xvi) उद्योगों का वर्गीकरण भविष्य में आम आवश्यकताओं के आधार पर किया जाए, जैसे कि मल-जल शोधन, अन्योन्याश्रय और हानिकारक प्रकृति जैसे अग्नि संकट, शोर आदि।

(xvii) पेड़ और पौधों का चयन विशेष मार्ग/क्षेत्र विकास, पार्क क्षेत्रों में वर्ष भर खिलने वाले फूलों (या तो मिश्रित या समूह रूप में) और विशिष्ट क्षेत्रों में छाया की आवश्यकताओं जैसे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा।

3753DG/07-2

तालिका 7.2 : औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि वितरण के मानदंड

क्रम सं.	उपयोग परिसर	प्रतिशतता
1	2	3
1.	औद्योगिक प्लाट (निवल क्षेत्रफल)	55-60
2.	मनोरंजनात्मक : बफर जोन, पार्क, जल निकाय, उच्च ताप लाइनों के नीचे का हरित क्षेत्र आदि	10-12
3.	व्यावसायिक : विपणन केन्द्र, पेट्रोल पम्प, गैस्ट हाउस/बजट होटल, लौजिंग एंड बोर्डिंग, सेवा एवं मरम्मत दुकानें/संचार/टेलीफोन एक्सचेंज आदि	2-3
4.	सुविधाएं :- • सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक : दमकल स्टेशन/चौकी पुलिस स्टेशन/चौकी, अस्पताल, डिस्पेंसरी, आई टी आई/पॉलिटेक्निक, धर्मशाला, रैन बसेर, डे-केयर सेंटर आदि • उपयोगिता : विद्युत सब स्टेशन, सी.ई.टी.पी.एस., पम्पिंग स्टेशन, भूमिगत जलाशय/अग्नि उपशमन टैंक और अन्य उपयोग आदि	8-10
5.	परिवहन : परिचालन, लोडिंग/अनलोडिंग क्षेत्र, पार्किंग, खाली ट्रक पार्किंग, माल भरे वाहनों की पार्किंग आदि	18-20
	कुल	100

तालिका 7.3 : विकास नियंत्रण मानक

उपयोग परिसर	अधिकतम			पार्किंग मानक	अनुमत कार्यकलाप	परिभाषा
	तल कवरेज (प्रतिशत)	एफ. ए. आर.	ऊँचाई (मी.)	ई.सी.एस./ फर्श क्षेत्रफल का 100 वर्ग मी.		
औद्योगिक प्लाट						
(i) 50 वर्ग मीटर और कम	100	200	8	2	औद्योगिक इकाइयां : केवल भू-तल पर फर्श क्षेत्रफल का अधिकतम 10% तक इकाई फुटकर विक्री आउटलेट, निगरानी और पर्यवेक्षण हेतु आवासीय फ्लैट फर्श क्षेत्रफल की 5% अधिकतम सीमा तक या 50 वर्ग मीटर, जो भी कम हो, औद्योगिक कार्यकलापों से संबंधित आनुषंगिक भण्डारण, पाद टिप्पणी (vi) के अनुसार व्यावसायिक कार्यकलाप।	उन औद्योगिक कार्यकलापों के लिए एक परिसर जिसमें 50 कर्मचारी तक हों और जोखिम रहित और प्रदूषण रहित कार्य का निष्पादन हो।
(ii) 51 वर्ग मीटर से 400 वर्ग मीटर तक	60	180	15	2	औद्योगिक इकाइयां : प्रशासनिक कार्यालय, निगरानी, फर्श क्षेत्रफल के अधिकतम 5 प्रतिशत तक या 20 वर्ग मीटर, जो भी कम हो, निर्माण कार्यकलाप से संबंधित गोदाम। पाद टिप्पणी (vi) के अनुसार व्यावसायिक कार्यकलाप।	परिसर जिसमें, लघु उद्योग इकाइयों का एक समूह हो और 20 तक कर्मचारी हों तथा सामान्य सेवाओं और सुविधाओं सहित जोखिम रहित और प्रदूषण रहित कार्य-निष्पादन हो।
(iii) 401 वर्ग मीटर से अधिक	50	150	15	2		
फ्लैट्स समूह उद्योग (न्यूनतम प्लॉट आकार 400 वर्ग मीटर)	30	150	26	2		

टिप्पणियां :-

- 60 वर्ग मीटर तक के आकार के प्लॉटों के मामले में आम पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए।
- 500 वर्ग मीटर और इससे अधिक आकार के प्लॉटों के मामले में ई.एस.एस., भूमिगत जल भंडारण टैंक, छत पर जल संग्रहण प्रणाली, गीले और सूखे कूड़े के लिए अलग-अलग कूड़ेदान, सेलर होटिंग/लाइटिंग प्रणाली आदि जैसी सेवाएं प्लॉट के अन्दर ही उपलब्ध करानी होंगी।
- भूखंडीय औद्योगिक क्षेत्रफल मानदंडों के अनुसार निर्धारित सेवा केन्द्रों को नियोजित किया जाए।
- औद्योगिक उपयोग के अंतर्गत अनुमेय सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का विकास।
- औद्योगिक परिसरों में बैंक्रेट हॉल की अनुमति होगी, जो परिवर्तन प्रभारों सहित, निर्धारित किए जाने वाले विनिर्देशों/विनियमों की शर्तों पर निर्भर होगी।

- (vi) औद्योगिक इकाइयाँ/प्लांट जो 24 मी. और उससे ऊपर के मार्गाधिकार वाली सड़कों के साथ संलग्न हैं, वे विद्यमान विकास नियंत्रण मानकों के अंतर्गत व्यावसायिक उपयोग में परिवर्तन के लिए पात्र होंगी, बशर्ते कि वे सरकार द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित व्यावसायिक क्षेत्र के चालू बाजार मूल्य पर प्रतिकूलित किए गए परिवर्तन प्रभातों और पार्किंग की लागत का भुगतान कर देते हैं। ऐसे प्लांटों में स्थानीय बाजारों में अनुमेय कार्यकलापों की अनुमति होगी। इसके अतिरिक्त, बहुस्तरीय पार्किंग को भी अनुमति होगी। तथापि, इसकी अनुमति असंगत/नियमित किए गए औद्योगिक क्षेत्रों में नहीं दी जाएगी। उपर्युक्त प्रावधान किसी भी प्रकार से उच्चतम न्यायालय के आदेशों को प्रभावित नहीं करेगा।

अनुबंध-I

उद्योगों का वर्गीकरण

समूह-क

घरेलू उद्योग

1. अगरबत्ती और समतुल्य उत्पाद।
2. एल्यूमीनियम के हैंगर (वायर ड्राइंग और एनोडाइजिंग को छोड़कर)
3. आयुर्वेदिक/होमियोपैथिक/यूनानी दवाएं।
4. इलेक्ट्रॉनिक सामान की असेम्बली और मरम्मत।
5. सिलाई मशीन की असेम्बली और मरम्मत।
6. हाथ के औजारों की असेम्बली।
7. बैडमिंटन शटल कौक्स की असेम्बली।
8. बिजली के सामान, कूलर, हीटर आदि की असेम्बली और मरम्मत।
9. टाइपराइटर की असेम्बली और मरम्मत (फॉन्ट कास्टिंग को छोड़कर)।
10. बैकेलाइट स्विचों की असेम्बली।
11. मापन उपकरणों की असेम्बली और मरम्मत (पात्र और खतरनाक सामग्रियों को छोड़कर)
12. आटा चक्की।
13. बटिक कार्य।
14. ब्लॉक बनाना और फोटो एनलाजिंग।
15. बिस्कुट, पापे, केक और कुकी उत्पादन।
16. बटन बनाना, बटन और हुक लगाना।
17. जिल्दसाजी।
18. ब्रश और झाड़ू (हाथ द्वारा बनाना)।
19. केलिको और वस्त्र उत्पाद।
20. केन और बांस उत्पाद।
21. कैसिट रिकार्डिंग।
22. क्ले और मॉडलिंग प्लास्टर आफ पैरिस द्वारा/बिना इसके।
23. क्वायर और जूट उत्पाद।
24. कार्डबोर्ड बाक्स।
25. मोमबत्ती।
26. कॉपर एवं ब्रास आर्टवेयर।

27. कॉरडिज, रस्सी बनाना और मटना (दिखन)।
28. बढ़ईगीरी
29. कॉन्टैक्ट लैन्स।
30. कैनवास बैग और हॉलडॉल बनाना।
31. कैंडीज, मिठाई, रसमलाई आदि (डिब्बा बंद न करने पर)।
32. सूती/रेशमी छपाई (हाथ द्वारा)।
33. कम्प्यूटर मरम्मत और साइबर सूचना केन्द्र।
34. कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर।
35. दरी और कालीन बुनाई।
36. डिटरजेंट (पट्टी के बिना)
37. डाटा प्रोसेसिंग।
38. डेरी उत्पाद अर्थात् क्रीम, घी, पनीर आदि।
39. ड्राईक्लीनिंग (बड़े वर्कशॉप को छोड़कर)।
40. डेस्क टॉप पब्लिशिंग।
41. कढ़ाई।
42. इनैमलिंग विटरस (कोयले के उपयोग के बिना)।
43. तख्त और शीशों के फ्रेम बनाना।
44. फाउंटेन पेन, बॉल पेन और फ़ैल्ट पेन।
45. सोने चांदी के धागे, कालाबट्टू।
46. हौजरी उत्पाद (रंगाई और ब्लीचिंग को छोड़कर)।
47. कढ़ाई वाले हैट, टोपी, पगड़ी कढ़ाई सहित।
48. सूचना प्रौद्योगिकी एनेबल्ड सर्विसेज
49. फाउन्टेन पेन के लिए स्थायी बनाना।
50. इन्टरलौकिंग और बटनिंग।
51. ज्वेलरी वस्तुएं।
52. खादी और हथकरघा।
53. खसटेटिस
54. बुनाई कार्य
55. लाख के उत्पाद।
56. चमड़े के जूते।
57. चमड़े की बेल्ट और बक्कल की असेम्बली (हाथ द्वारा)।
58. चमड़े एवं रेक्सिन से बनी वस्तुएं।
59. दूध क्रीम अलग करना।
60. जूट उत्पादों का उत्पादन।
61. बिन्दी उत्पादन।
62. नेम प्लेट बनाना।
63. निम्नलिखित मदों का उत्पादन :
 - (i) ब्लैन्को केक्स
 - (ii) ब्रश
 - (iii) कुल्फी एवं कन्फैक्शनरी।
 - (iv) मोमी रंग।
 - (v) जैम, जैली, फल परिरक्षण।
 - (vi) संगीत यंत्र (मरम्मत सहित)।
 - (vii) लाख के और इससे मिलते जुलते कार्य।

- (viii) पर्स, हैंड बैग आदि जैसे चमड़े के सजावटी सामान।
 (ix) छोटे इलैक्ट्रॉनिक पुर्जे।
64. कागज स्टेशनरी मर्चें और जिल्दसाजी।
 65. पिथ हैट, फूलों की मालाएं और पिच।
 66. पी.वी.सी. उत्पाद (आधिकतम एक मोल्डिंग मशीन)
 67. पेपर मशीन।
 68. सुगन्धित एवं सौन्दर्यवर्धक वस्तुएं।
 69. फोटो सैटिंग।
 70. फोटो स्टेट और साइक्लोस्टाइलिंग।
 71. ड्राइंग की फोटो कापी तथा ड्राइंग एवं डिजाइन बड़े करना।
 72. शैम्पू पैक करना।
 73. केश तेल पैक करना।
 74. वड़ी, पापड़ इत्यादि बनाना।
 75. मसाले, गरम मसाले, मूँगफली और दाल इत्यादि का संसाधन।
 76. पान मसाला।
 77. मिठाई एवं नमकीन उत्पादन (एक टन/प्रतिदिन से कम)।
 78. पेपर मैश।
 79. कागज के कप, प्लेट, फाइल कवर और लैटर पैड (मुद्रण रहित)।
 80. फोटोग्राफी (डेवलपिंग और प्रिंटिंग)
 81. घड़ियों और घंटा घड़ियों की मरम्मत।
 82. राखी बनाना।
 83. घरेलू बिजली के उपकरणों की मरम्मत।
 84. तैयार वस्त्र (बिना धोए)।
 85. साइकिलों की मरम्मत।
 86. कम्प्यूटर हार्डवेयर की मरम्मत एवं असेम्बली।
 87. बैग ब्रीफकेस, सूटकेस की मरम्मत, चमड़े और पी.वी.सी. सामग्रियों को छोड़कर।
 88. पानी के मीटर, स्टेबलाइजर, यू.पी.एस. आदि की मरम्मत।
 89. रबड़ की मोहरें।
 90. शिला तक्षण/पत्थर पर नक्काशी।
 91. खेल का सामान/खेल के नेट।
 92. सर्जिकल बैंडेज रोलिंग और कटिंग।
 93. स्टोव पाइप, सेफ्टीपिन, एल्यूमिनियम के बटन (हैंड प्रैस से)।
 94. सिल्वर फॉइल बनाना।
 95. साड़ी फॉइल बनाना।
 96. जूतों के तस्मे।
 97. स्टैम्प पैड।
 98. स्क्रीन प्रिंटिंग।
 99. टेलरिंग,
 100. धागे के गोले और रूई भराई।
 101. खिलौने और गुड़िया।
 102. टाई।

103. टमाटर कैचप।
104. छतरी बनाना।
105. बर्तन धोने का पाउडर (केवल मिलाना और पैक करना)।
106. वेलवेट की कढ़ाई के जूते/शौल।
107. वरमिसेली, मैकरौनी।
108. काष्ठ नक्काशी और सजावटी लकड़ी का सामान।
109. ऊन के गोले और लैशी बनाना।
110. लकड़ी और गते के आभूषण के डिब्बे (विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने की शर्त पर)।
111. ऊनी बुनाई (मशीन से)।
112. जूरी जरदोजी।

समूह क-1

गांवों (आबादी) में अनुमेय घरेलू उद्योग

1. लोहार गिरी।
2. केन और बांस उत्पाद।
3. चिकनी मिट्टी और प्लास्टर ऑफ पेरिस की/बिना इसके मोडलिंग।
4. दरी, कालीन/साड़ी बुनाई (ड्राइंग और ब्लोचिंग को छोड़कर)।
5. रेफरीजेशन द्वारा आइसक्रीम और जल शीतलन (बिना कोल्ड स्टोरेज)।
6. शिलातक्षण (नक्काशी)।
7. ग्रामीण पौटरी उद्योग (भट्टी के बिना)।
8. ग्रामीण तेल घानी।
9. काष्ठ नक्काशी तथा सजावटी और लकड़ी का सामान।

समूह 'क' एवं 'क'-1 में उल्लिखित कोई भी उद्योग निम्नलिखित कार्य नहीं करेंगे।

- (i) एनोडाइजिंग
- (ii) ब्लोचिंग
- (iii) कोयला जलाना
- (iv) केनिंग सुविधा
- (v) रंगाई
- (vi) इलैक्ट्रोप्लेटिंग
- (vii) मोल्डिंग कार्य
- (viii) सी.एफ.सी. गैस का उपयोग
- (ix) वार्निशिंग
- (x) धुलाई

टिप्पणी :

1. खतरनाक रसायन विनिर्माण भण्डारण और आयात नियम, 1989 को अनुसूची-1 और/या-2 और सार्वजनिक दायित्व बोमा अधिनियम, 1990 में सूचीबद्ध रसायनों को जमा करने का प्रतिबंध है।
2. इकाइयों द्वारा किसी भी प्रकार के कूड़े का निस्सरण/छोड़ने की अनुमति नहीं होगी और ये पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा यथा निर्धारित ध्वनि मानकों का पालन करेंगी।

अनुबंध-II

अनुबंध-III

समूह-ख

व्यावसायिक क्षेत्रों में अनुमेय उद्योग :

1. एअर कंडीशनर पार्ट्स
2. एल्यूमीनियम दरवाजे/खिड़कियाँ/फिटिंगें/फर्नीचर
3. साइकिलों की असेम्बली और मरम्मत
4. ऑटो पार्ट्स
5. बैल्ट और बकल्स
6. बल्ब (बैटरीज)
7. वस्त्र-रंगाई
8. कपास ओटना
9. साइकिल चेन/लॉक
10. हीरे की कटिंग और पॉलिश-कार्य
11. बिजली फिटिंग्स (स्विच, प्लग, पिन आदि)
12. इलास्टिक उत्पाद
13. इंजीनियरिंग कार्य
14. फाउन्डी (लघु कार्य)
15. रेफ्रिजरेशन द्वारा आइसक्रीप और जल शीतलन (बिना कोल्ड स्टोरेज)
16. आइसबॉक्स और कूलर बॉडी
17. आयरन ग्रिल्स और दरवाजे बनाना
18. जूट उत्पाद
19. चाबी के छल्ले (की रिंग्स)
20. चाकू बनाना
21. मार्बल स्टोन की चीजें
22. मेटल लेथ कटिंग
23. मोटर वाइंडिंग कार्य
24. प्रिंटिंग प्रेस
25. स्क्रू एवं नेल्स
26. कैंचियाँ बनाना
27. चश्मे और ऑप्टिकल फ्रेम
28. स्टील फर्नीचर/अलमारियाँ
29. स्टील लॉकर्स
30. स्टील सिंग्रस
31. सर्जिकल उपस्कर और उपकरण
32. टेबल लैम्प और शेड्स
33. टिन-बॉक्स बनाना
34. ट्रांसफॉर्मर कवर
35. टी वी/रेडियो, कैसेट रिकार्डर आदि
36. टी वी/रेडियो/ट्रांजिस्टर कैबिनेट
37. टाइपराइटर पार्ट्स विनिर्माण और असेम्बली
38. वाटर मीटर मरम्मत करना
39. वाटर टैंक
40. वेल्डिंग कार्य
41. तार बुनना
42. लकड़ी का फर्नीचर कार्य
43. सूचना प्रौद्योगिकी और एनेब्लड सर्विसेज

निषिद्ध/नेगेटिव उद्योगों की सूची

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में निम्नलिखित सामग्रियों का निर्माण करने वाले उद्योगों का निषेध है :

1. आर्क/इंडक्शन फर्नेस।
2. अम्ल।
3. एल्कलीज।
4. जन्तु और मछली का तेल।
5. एल्डीहाइड्स।
6. अम्ल घोल।
7. एसिडिलाइट, फ्रिडाईन्स, आयोडोफार्म, क्लोरोफार्म, ई-नप्थॉल आदि।
8. एमोनियम सल्फोजेनाइड, आर्सेनिक और इसके यौगिक कम्पाउन्ड, बेरियम कार्बोनेट, बेरियम साइनाइड, बेरियम इथाइल सल्फेट, बेरियम एसीलेट सिनाबार, कॉपर सल्फोसाइनाइड, फेरोसाइनाइड, हाइड्रोसाइनाइड, हाइड्रो सायेनिक अम्ल, पोटैशियम बायोकेलेट, पोटैशियम साइनाइड, पोटाश का प्रूसिएट, फाइनोर्गैलिक अम्ल, सिल्वर साइनाइड।
9. वायुयान निर्माण।
10. पशु वध गृह, पशु रक्त संसाधन (मौजूदा और पुनः स्थान निर्धारण को छोड़कर)।
11. तारकोल बिछाना (गर्म)।
12. ईंटें बनाना (ताजी मिट्टी को कच्चे माल के रूप में और कोयले को ईंधन के रूप में प्रयोग करके)।
13. बी-नेप्थॉल।
14. बेकेलाइट पाउडर (फॉर्मल डीहाइड से प्रारंभ करके)।
15. बारले माल्ट और अर्क।
16. बोनग्रेस्ट, बोन मील, बोन साल्टिंग, बोन भंडारण, बोन सुखाना।
17. बोन तारकोल विनिर्माण।
18. ब्लास्ट फर्नेस-कोयला ज्वलित।
19. साइकिल (एकीकृत संयंत्र)।
20. ब्रूयेरी एवं पोटेबल स्प्रिट।
21. क्लोरिनेटेड पैराफिन, मोम शोधन।
22. काला कार्बन।
23. सीमेंट उद्योग।
24. कैल्शियम कार्बाइड, फासफोरस एल्यूमिनियम डस्ट, पेस्ट और पाउडर, तांबा, जस्ता आदि (इलेक्ट्रोथर्मल उद्योग)।
25. क्रेन, होइस्ट और लिफ्ट (असेम्बली छोड़कर)।
26. सामान्य उद्योग मशीनरी (जैसे हाइड्रोलिक उपकरण, ड्रिलिंग उपकरण, बॉयलर आदि)।
27. डी.ओ.पी. (डायोक्टाइल पैथालेट), डी.बी.पी. एवं प्लास्टिक सीज़र)।
28. ड्राई सेल बैटरी।
29. ड्राई एवं ड्राईइन्टरमीडिएट।

30. लकड़ी डिस्टिलेशन, लकड़ी की रासायनिक सीजनिंग (प्राकृतिक सीजनिंग को छोड़कर)।
31. विस्फोटक अर्थात् पटाखे, गन पाउडर, गन कॉटन आदि।
32. मिट्टी उठाने की मशीन/उपकरण (असेम्बली, विनिर्माण)।
33. विद्युत के तार एवं केबल (100 कर्मियों से अधिक, 2000 वर्ग मी. प्लॉट)।
34. फैटी अम्ल।
35. फंगीसाइड्स एवं पेस्टीसाइड।
36. फ्लैक्सोग्राफिक स्थायी।
37. ईंधन तेल, इल्यूमिनेटिंग तेल और अन्य तेल जैसे सिकेटिक तेल, शॉल तेल, ल्यूब्रीकेन्ट।
38. फाउन्डरी (पिट फर्नेस को छोड़कर)।
39. गैस कम्प्रेसर।
40. ग्रेफाइट उत्पादन।
41. ग्लास फर्नेस (1 टन प्रतिदिन की क्षमता से अधिक)।
42. गैस कार्बन डाई सल्फाइड, अल्यूमीनियम ब्लू फ्लोरीन, हाइड्रोजन, सल्फर डाई ऑक्साइड, एसिटिलीन आदि (एल.पी.जी./सी.एन.जी./ऑक्सीजन/चिकित्सा गैसों को छोड़कर)।
43. ग्लैन्डुलर/ग्लैंडेस निष्कर्षण।
44. हड्डियों और मांस से गोंद और सरेस बनाना।
45. हाटमिक्स प्लांट (डी.पी.सी.सी./सी.पी.सी.बी. द्वारा अनुमोदित को छोड़कर)।
46. खतरनाक कूड़ा कचरा संसाधन अर्थात् अस्पताल/चिकित्सा/औद्योगिक कूड़ा।
47. पौलीयूरेथीन फोम।
48. औद्योगिक जिलेटिन, नाइट्रो ग्लिसरीन और फलमीनेट।
49. लोहे/इस्पात धातु ढलाई (न्यूमैटिक हैमर का उपयोग करके)।
50. औद्योगिक जिलेटिन, नाइट्रो ग्लिसरीन और फलमीनेट।
51. औद्योगिक ट्रक, ट्रैलर आदि।
52. लीनियर एलकिड बैजिन।
53. मशाले लैड उद्योग सहित लैड विनिर्माण (फालतू स्क्रेप से लैड निकालना)।
54. चूना भट्टी।
55. चमड़ा शोधन और डाइंग (कच्चा हाइड/चमड़ी से अर्ध फिनिश)।
56. लोकोमोटिव और वैगन।
57. मैथनौल।
58. मैथिलेटिड स्प्रिट।
59. मिनेनिकल स्टोन क्रशर एवं अपरिष्कृत बालू की धुलाई।
60. लुगदी और कागज बनाना।
61. मैलामाइन रैसिन।
62. खनिज साल्ट (अम्ल, कॉपर सल्फेट, फेरिक सल्फेट, फिटकरी आदि के उपयोग सहित)।
63. डीजल इंजन, जनरेटर का विनिर्माण (असेम्बली को छोड़कर)।
64. मोटर साइकल, स्कूटर, कार, ट्रैम्पो, ट्रक आदि।
65. न्यूज प्रिंट विनिर्माण, पल्लिंग, फ्रेश पेपर बनाना।
66. नाइट्रोजीनोऑस एवं फोस्फेटिक उर्वरक, कम्पाउन्डिंग के लिए उर्वरक मिलाए बिना (बड़े पैमाने पर)।
67. औरगैनिक, सैल्वेंट, क्लोरीनेटेड मिनेरल, मिथेनौल, एल्डीहाइड, मीथिलेटिड स्प्रिट।
68. पेट्रोलियम कोक प्रोसेसिंग, ईंधन के रूप में नहीं।
69. पोर्टरी/रीफ्रेक्टोरीज़ (कोयला या फर्नेस तेल उपयोग करके)।
70. पौलिथलीन पौलीमर्स रैजिन सहित।
71. पेंट उद्योग (नाइट्रो सेल्यूलोस एवं एल्किड रैसिन आधारित)।
72. प्लास्टिसाइज़र्स बनाना।
73. पाइरीडाइन्स।
74. फिनोल फॉर्मलड हाइड रैसिन और पाउडर।
75. पोरसीलेन के पोर्टरी उत्पाद (2 टन प्रतिदिन से अधिक कोयले की उत्पादन क्षमता का उपयोग करते हुए)।
76. रबर सोल्यूशन एवं थिनर (नैप्था और रबर स्क्रेप का उपयोग करते हुए)।
77. सल्फाइड और ऑक्साइड के मिश्रण चाली और की रोस्टिंग।
78. रैयॉन फाइबर बनाना।
79. रीफ्रेक्टोरीज़।
80. रबर की रीक्लेमेशन।
81. टायर एवं ट्यूब का उत्पादन (डीवलकेनाइजेशन)।
82. सैकरीन।
83. सैकेन्डी जस्ता उद्योग।
84. सिन्थेटिक रबर।
85. स्मेल्टिंग।
86. सिलाई मशीन (एकीकृत इकाईयां) असेम्बली छोड़कर।
87. स्ल्यूस गोल्ड और गीयर।
88. स्टेनलैस स्टील पिकलिंग।
89. स्टीम इंजन।
90. स्टील पाइप और ट्यूब (लगातार वेल्डिड/सीमलैस)।
91. चीनी, खाण्डसारी।
92. सोडियम सिलिकेट उद्योग (प्रतिदिन 1 टन से अधिक)।
93. स्टोन क्वेरिंग।
94. टेक्सटाइल (सभी पालियों में 100 मजदूरों से अधिक, 1 एकड़ भूमि, 100 एल.के.डी. जल)।
95. थोरियम, रेडियम और समान आइसोटोप्स तथा दुर्लभ मिट्टी खनन।
96. टरबाइन्स।
97. यूरिया एवं फिनाइल फॉर्मलडीहाइड रैसिन।
98. वेजिटेबल तेल हाइड्रोजेनेटेड।
99. वेस्ट (कच्चा/बरन्ट) तेल प्रोसेसिंग (रिफाइनरी)।

टिप्पणियां :-

- (i) ऊपर संदर्भित कार्यकलापों में से किसी से जुड़ी हुई सार्वजनिक उपयोगिता सेवा को पर्यावरण संबंधी कानूनों की शर्त पर अनुमति दी जाएगी।
- (ii) निषिद्ध उद्योगों की सूची में भविष्य में परिवर्तन/परिवर्द्धन किया जा सकता है, यदि केन्द्र सरकार द्वारा ऐसा किया जाना उचित और जनहित में समझा जाए।

8.0 सरकारी कार्यालय

दिल्ली देश की राजधानी होने के कारण नौकरी के क्षेत्र में बेहतर अवसर प्रदान करती है। यह भारत के सभी भागों से सरकारी और अर्द्ध सरकारी क्षेत्रों में लोगों को आकर्षित करती है। वर्ष 1981

तक इस क्षेत्र में सार्थक वृद्धि हुई थी। तथापि, वर्ष 2003 की आर्थिक जनगणना की रिपोर्टनुसार केन्द्रीय सरकार और दिल्ली सरकार को छोड़कर सभी सरकारी कार्यालयों में रोजगार में कमी आई है। नीचे की तालिका विभिन्न सरकारी क्षेत्रों में रोजगार में वृद्धि दर्शाती है :-

तालिका 8.1 : सरकारी और अर्द्ध-सरकारी क्षेत्र में रोजगार (लाखों में)

क्र.सं.	श्रेणी	1981	1991	2000	2003
1.	केन्द्रीय सरकार	2.25 (6.64)	2.15 (-4.44)	2.13 (-0.93)	2.14
2.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	0.58 (9.43)	1.04 (9.31)	1.13 (8.65)	1.21
3.	अर्द्ध सरकारी (केन्द्रीय + राज्य)	1.41 (151.79)	2.14 (51.77)	2.04 (-4.67)	1.96
4.	स्थानीय निकाय	1.17 (30)	0.83 (-29.06)	0.95 (14.46)	0.93
	कुल	5.33 (30)	6.16 (15.57)	6.25 (1.46)	6.24

कोष्ठक में दिए गए आंकड़े दशक वृद्धि को प्रतिशत में दर्शाते हैं।

स्रोत : रोजगार निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार और दिल्ली मुख्य योजना-2001

8.1 कार्यालयों का विकेन्द्रीयकरण

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में कोई भी नया केन्द्रीय सरकारी कार्यालय और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कार्यालय स्थापित नहीं किया जाना चाहिए। तथापि, विद्यमान सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के कार्यालयों को दिल्ली से बाहर स्थानांतरित करने और नए कार्यालयों की स्थापना को प्रतिबंधित करने का मामला समयबद्ध कार्य योजना तैयार होने के बाद तथा उपयुक्त प्रोत्साहनों और अप्रोत्साहनों सहित संभव हो सकेगा।

8.2 सरकारी भूमि का अधिकतम उपयोग

भारत सरकार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार और स्थानीय निकाय अपने कार्यालयों के लिए दिल्ली में मुख्य भूमि पर अधिकार किए हुए हैं। अधिकतर कार्यालयों को स्वतंत्रता के तत्काल पश्चात् स्थापित किया गया है। बड़े क्षेत्र उपयोगिता के अन्तर्गत हैं और उन्होंने अपना लाभ प्राप्त कर लिया है। सरकारी रोजगार में कमी के कारण और मंत्रालयों द्वारा संसाधन जुटाने की आवश्यकता के लिए निम्नलिखित उपायों द्वारा विद्यमान सरकारी कार्यालयों का अधिकतम उपयोग/भूमि का अधिकतम उपयोग किया जा सकता है।

1. विद्यमान सरकारी कार्यालयों/भूमि का गहन उपयोग।
2. सरकार द्वारा आवासीय विकास हेतु बची हुई भूमि का उपयोग।
3. आर्थिक रूप से व्यवहार्य संरचनात्मक प्रक्रिया हेतु कुल तल क्षेत्र अनुपात का 10 प्रतिशत व्यावसायिक उपयोग हेतु उपयोग किया जा सकता है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य कार्यालय जो कि पुराना सचिवालय में अवस्थित थे, उन्हें इन्द्रप्रस्थ एस्टेट में स्थानांतरित किया गया है। पुराना सचिवालय एक ऐतिहासिक भवन है और इसे संरक्षण किए जाने की आवश्यकता है। पुराना सचिवालय के आस-पास के बैरक क्षेत्रों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के अतिरिक्त कार्यालयों का समावेश करने हेतु पुनर्विकास किया जा सकता है।

इस समय जिला न्यायालय तीस हजारी, कड़कड़दूमा और रोहिणी उप नगर में स्थापित किए गए हैं। नए जिला न्यायालयों के लिए निम्नलिखित स्थानों पर स्थानों की भूमि चिन्हित की गई है।

- | | |
|-------------------------------|------------|
| 1. साकेत जिला केन्द्र के समीप | 7 हैक्टेयर |
| 2. नरेला उप नगर | 3 हैक्टेयर |
| 3. द्वारका उप नगर | 3 हैक्टेयर |

स्थानीय निकायों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य रोजगार को पब्लिक और सेमी-पब्लिक सुविधा प्राप्त क्षेत्रों जैसे : स्वास्थ्य, शिक्षा आदि में समावेश किया जाए। दिल्ली नगर निगम के मुख्यालय को जवाहर लाल नेहरू मार्ग पर निर्माणाधीन प्रस्तावित सिविक केन्द्र स्थल पर बनाया जाएगा, जो कि नॉन हिरार्चिकल व्यावसायिक केन्द्र के रूप में नामित किया गया है।

सरकारी कार्यालयों की व्यवस्था जहां तक संभव हो, शहरी विस्तार में, एम.आर.टी.एस. गलियारे में की जानी चाहिए। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, न्यायालयों और स्थानीय निकाय के कार्यालयों के लिए 4 स्थलों पर (प्रत्येक के लिए 10-15 हैक्टेयर भूमि की) व्यवस्था की जाए।

तालिका 8.2 : विकास नियंत्रण - सरकारी कार्यालय

उपयोग/उपयोग परिसर	अधिकतम ग्राउंड कवरेज%	एफ ए आर	ऊँचाई (मी.)	पार्किंग मानक ई सी एस/प्रति 100 वर्ग मी. तल क्षेत्र का	परिभाषा	अनुमत क्रिया कलाप
(i) एकीकृत कार्यालय परिसर	30	200	एनआर, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और अन्य वैधानिक निकायों के अनुमोदन के आधार पर	1.8	केन्द्र सरकार, स्थानीय सरकार और स्थानीय निकायों के कार्यालयों के लिए उपयोग किया गया परिसर	सरकारी कार्यालय, आवास निगरानी स्टाफ/रखरखाव स्टाफ का आवास (एफ.ए. आर. का अधिकतम 5 प्रतिशत), केमिस्ट की खुदरा दुकान, पुस्तक और स्टेशनरी, उपभोक्ता स्टोर कैन्टिन, डाकघर, बैंक विस्तार पटल आदि। पब्लिक क्षेत्र उपक्रम/ व्यावसायिक कार्यालय (कुल तल क्षेत्र का 10 प्रतिशत प्रतिबंधित)
(ii) जिला न्यायालय	30	200	एनआर, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और अन्य वैधानिक निकायों के अनुमोदन के आधार पर	1.8	न्यायिक कार्यालयों हेतु उपयोग किया गया परिसर	न्यायालय, आवास रखरखाव स्टाफ (एफ. ए. आर. का अधिकतम 5 प्रतिशत) कैन्टिन, रेस्तरां, सहायक सेवाएं और खुदरा दुकान, पुस्तकालय डिस्पेंसरी, प्रशासनिक कार्यालय, बैंक, डाकघर, पुलिस पोस्ट, फायर-पोस्ट, वकील चैम्बर।

टिप्पणी :

- (i) स्थानीय सरकारी कार्यालयों/सरकारी भूमि उपयोग के अंतर्गत सार्वजनिक उपक्रमों के लिए मानक एकीकृत कार्यालय परिसर के रूप में होंगे।
- (ii) सरकारी उपयोग (अनिर्धारित) के मानक अनुमोदित ले-आउट/स्कीम के अनुसार होंगे, जिनके विकास नियंत्रण उनके उपयोग परिसरों के अनुसार होंगे।

INDUSTRIES DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 11th September, 2007

No. 1/C/C.I./Policy/INSITU/Prahladpur Banger/2007/19.—Whereas the Central Government, vide Ministry of Urban Development (Delhi Division), Notification No. S.O.141 (E) dated the 7th February, 2007 has approved the Master Plan for Delhi with the perspective for the year 2021, as an extensive modification to the Master Plan for Delhi with the perspective for the year 2001;

And whereas the Master Plan for Delhi with the perspective for the year 2021, provides the norms for Redevelopment of clusters of Industrial Concentration in Non Conforming Areas;

And on the basis of a survey was conducted by the Delhi State Industrial Infrastructural Development Corporation (DSIIDC) and further verified by the Sub-Divisional Magistrate, Narela, the Industrial Cluster located at Prahladpur Banger, a Non-Conforming Area, (layout plan

enclosed as Annexure - 'A') and bounded as follows, is to be considered for the re-development in terms of the provisions contained in the Master Plan for Delhi with perspective for the year 2021:

Boundaries :

- EAST:** Open Land and 80- metre wide road linking G.T. Kamal Road with Rohtak Road
- WEST:** Pooth Kalan Road
- NORTH:** Open Land
- SOUTH:** 80-meter wide road linking G.T. Kamal Road with Rohtak Road

Now, therefore, in pursuance of the provisions of the Master Plan for Delhi, with the perspective for the year 2021, the Government of National Capital Territory of Delhi (GNCTD), hereby, notifies the aforesaid Industrial Cluster for Redevelopment, in terms of the provisions contained in said Clause, subject to the following conditions:

1. The redevelopment scheme shall be prepared by the concerned local body/land owning agency in con

- sultation with the Society (to be formed by the land owners) based on the norms/conditions specified in Clause 7.6.2.1 of the Master Plan for Delhi, with the perspective for the year 2021.
2. The process of redevelopment shall have to be carried out in a planned manner and in a public private partnership framework, in which entrepreneurs shall contribute to the betterment and subsequent maintenance of suitable operation and maintenance arrangements and the redevelopment process shall involve preparation of redevelopment plans for widening of roads, laying of services, development of open space, parking, etc.

3. All manufacturing units which have availed of any allotment of plot under the scheme of relocation of industries shall have to surrender such plots allotted to them failing which the manufacturing unit in the aforesaid cluster shall be liable for closure and the plot that would become available as a result of closure of the unit shall be put for such use that may be assigned to that plot under the re-development scheme and also disposal by the Government of NCT of Delhi.

By Order and in the Name of the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi,
NARENDRA KUMAR, Secy. & Commissioner

ANNEXURE-A



ANNEXURE B

MASTER PLAN FOR DELHI 2021

7. Industry

As per Economic Survey of Delhi 2001-02, there were about 1,29,000 industrial units in Delhi in 1998 against 85,050 units in 1991. A door-to-door industrial survey revealed that an average unit employed 9 workers while 30 per cent of the units employed 4 workers or less. The survey also revealed that textiles products (garments) units constitute the largest number, followed by repair services and electrical machinery. The table below shows the growth of industrial units and employment.

Year	No. of Industries	No. of Employees
1981	42,000	5,68,910
1991	85,050	7,30,951
1998	1,29,000	14,40,000

Source : Economic Survey of Delhi 2001-02

The issue of industries in Delhi has been a subject of extensive debate, controversy and concern over the past decade. This has centred mainly on the aspects of pollution and negative environmental impact of industries, the existence and continued growth of industries in non-conforming areas and the issue of classification and permissibility with reference to household industries. Serious concern has been expressed regarding the continued existence and further proliferation of industries in contravention of Master Plan provisions.

7.1 Strategy

Keeping in view the position brought out above as also in the context of the continuing pressure of population growth in Delhi, the following broad policy would be required for the industrial sector :

- Promote hi-tech and low volume-high value added industries, which are not labour intensive.
- Encourage modernization and technological up-gradation of existing industries required for

day-to-day needs of the people of the city.

- Take corrective measures with regard to industries in non-conforming industrial areas in terms of environmental and other norms as may be prescribed.
- Provide suitable incentives and disincentives, and other measures, for shifting and relocation of industrial units not conforming to the land use norms.
- Review, and possibly widen, the scope of permissibility of household industrial units subject to adherence to pollution control norms and environmental considerations, fire safety regulations and other relevant factors, particularly the aspect of infrastructure services.

7.2 Classification of Industries

The classification of Industries is proposed to be simplified with prohibited category and non-prohibited category subject to proposals regarding specific category of industries permitted in different use zones. Further, all planned industrial areas are designated under a single land use category namely Industry. The standards prescribed by the pollution control authorities would have to be met by all industrial units, in addition to specific conditions in terms of number of workers and power load in specified categories.

Industries listed under prohibited category shall not be permitted to be set up in Delhi (Annexure - III). The existing industrial units under prohibited category need to relocate themselves outside Delhi, within a period of three years.

7.3 Permissibility of Industrial Units in Different Use Zones and Use Premises

For the industrial classification, the limits of aforesaid parameters shall be fixed according to the nature of industries, area and the nature of industrial development. The threshold parameters for industrial units are given in Table 7.1.

Table 7.1 : Parameters for Industrial Units in Different Use Zones and Use Premises

Use Zone / Use Premises	Groups Permitted (Refer Annexure)	Conditions	
		Max. no. of workers	Max. Industrial Power Load (KW)
Residential Use			
(a) Residential	A	5	5
(b) Villages (Abadi)	A+A1	5	5
Commercial Use			
(a) Convenience Shopping Centre, Local Shopping Centre	A+ A1-B	5	11
	Service / repair /	9	11

Use Zone / Use Premises	Groups Permitted (Refer Annexure)	Conditions	
		Max. no. of workers	Max. Industrial Power Load (KW)
(b) Community Centre	packaging/assembly (without manufacturing) of permissible industries.	19	11
(c) District Centre			
(d) Service Market, Service Centre			
Industrial Use			
(a) Plotted Development	All industries except those prohibited and of Non- polluting and non-hazardous nature.	As per need	As per need
(b) Flatted Industries	All industries except those prohibited, and of Non- polluting and non-hazardous nature, excluding industries producing noise/water/ vibrations/odour pollution.	20	As per need

Notes:

- (i) Maximum no. of workers shall be as per notification issued by the competent authority from time to time.
- (ii) The power requirement for operating pollution control devices and non-manufacturing use shall be over and above the aforesaid permissible load.
- (iii) Existing Industrial Estates in the Growth Centres shall be considered as industrial use.

7.4 Household/Service Industries

- (i) Household industrial units with maximum 5 workers and 5 kilowatt power may be allowed to continue in residential areas and new industrial units of this type could be permitted in residential areas subject to the condition that no polluting industrial unit shall be permitted as household industry.
- (ii) The industrial units could be permitted only after provisional registration by the Govt. of NCTD.
- (iii) Household industrial units shall be allowed on any floor to the extent of 50% of permissible floor area of the dwelling unit.
- (iv) Further additions / alterations to the list of Household Industries could be made, if considered appropriate and in public interest by the Central Government to do so.
- (v) No inflammable or hazardous substance is permitted to be stored.
- (vi) Separate industrial electric connection (single phase) and Municipal Licence, would be necessary to set up a household industry.

7.5 No Industrial Activity Zone

In order to maintain the city's ambience and pollution free environment in important and historic areas of Delhi,

following locations are categorized as 'No Industrial Activity Zone' where no industrial activity including household industry, shall be permitted:

- (a) Lutyens' Bungalow Zone
- (b) Civil Lines Bungalow Area
- (c) Employer Housing
- (d) Group Housing (excluding Janata Flats).

7.6 Industrial Area Redevelopment Scheme

The redevelopment schemes cover the following aspects :

- (i) Modernization and upgradation of existing planned industrial areas; and
- (ii) Redevelopment of areas, which have become industrialized over the period of the two Master Plans even though not designated as such.

7.6.1 Existing Planned Industrial Areas

These industrialized areas were developed in the 70's and over the years, have deteriorated considerably in terms of physical infrastructure and, in some cases deficiencies on this score have persisted in an overall sense. Besides, there have been changes in the nature of activities in some of the areas and there have also been demands for using part of the plots for activities, which could be classified as commercial. There may also be a need to see whether further densification is possible in terms of creating smaller plots

by sub-divisions to accommodate a larger number of industries/units. Guidelines for redevelopment of existing industrial areas shall be framed within 2 years by DDA in consultation with GNCTD and the local body. Till such time, the existing sub-divisions may continue.

There is, therefore, a need for modernization and up gradation of the existing industrial areas with due regard to environmental considerations. Since most of the Industrial areas are located along the Mass Public Transport Corridors, there is also a need for optimizing the use around these areas through the process of redevelopment.

This process of upgradation and redevelopment will need to be carried out in a planned manner, and in a public-private partnership framework, in which the entrepreneurs contribute to the betterment and subsequent maintenance through suitable Operation and Maintenance arrangements.

7.6.1.1 Industrial activity shall be conducted at the following locations in the Industrial Use Zone, as indicated in the Land Use Plan :

ZONES A to H :

Naraina Indl. Area, Jhandewallan Flatted Factory, Motia Khan Scheme, DCM Flatted Factory Complex, Shahzada Bagh Indl. Area, Gulabi Bagh Indl. Area, Rajasthan Udyog Nagar G.T. Road near Jahangirpuri, SMA Co-op. Indl. Estate G.T. Road near Jahangirpuri, SISI Indl. Area G.T. Road near Jahangirpuri, G.T. Karnal Road Indl. Area near Rana Pratap Bagh, Hindustan Prefab Ltd., Indl. Area near Shivaji Rly. Stn. (Minto Road), Okhla Indl. Area Ph. I, II & III, Mohan Co-op Indl. Area, SISI Complex Okhla near Modi Flour Mills, Najafgarh Road Indl. Area near Zakhira, Kirti Nagar Indl. Area, Mayapuri Ph. I & II, Udyog Nagar Rohtak Road, Keshav Pur Leather Tannery Scheme (part of Service Centre) near Vikaspuri, Wazirpur Industrial Area, Lawrence Road Indl. Area, Mangolpuri Indl. Area Ph. I & II, Jhilmil Indl. Area, Patparganj Indl. Area, Friends Colony Indl. Area, Narela Indl. Estate, Bawana Indl. Estate, Khanjhwala Indl. Estate, PVC Bazar Tikri Kalan.

- (a) Additional Industrial Areas will be indicated while preparing plans for Urban Extension Areas.
- (b) The approved Work-cum-Industries Centres, Service Centres etc., where development has been undertaken in accordance with the land use/earlier Master Plans, shall continue to be industrial subject to conformity with provisions stipulated.

7.6.2 Redevelopment of Unplanned Industrial Areas

Besides the planned Industrial Areas, the Govt. of Delhi has notified following non-conforming clusters of industrial concentration having more than 70% plots in the cluster with industrial activities for redevelopment.

1. Anand Parbat
2. Shahdara
3. Samai Pur Badli
4. Jawahar Nagar

5. Sultanpur Mazra
6. Hastal Pocket - A
7. Naresh Park Extension.
8. Libaspur
9. Peeragarhi Village
10. Khyala
11. Hastal Pocket - D
12. Shalamar Village
13. New Mandoli
14. Nawada
15. Rithala
16. Swarn Park Mundka
17. Haiderpur
18. Karawal Nagar
19. Dabri
20. Basai Darapur

The redevelopment process involves preparation of redevelopment plans for widening of roads, laying of services, development of open space and parking etc.

In practical terms, these areas are deficient in terms of services and endanger the environment. The redevelopment of such areas needs to be based on clearly defined parameters in terms of the types of industries which may be permitted, spatial planning norms and environment related conditionalities regarding the provision of essential infrastructure with the participation of the owners/entrepreneur in a systematic manner.

7.6.2.1 Norms for Redevelopment of clusters of Industrial Concentration in Non Conforming Areas

Keeping in view the existing realities, as well as the imperatives of planned development, the following norms will have to be followed in the redevelopment process.

Non-conforming clusters of industrial concentration of minimum 4 hectare contiguous area, having more than 70% plots within the cluster under industrial activity/use may be considered for redevelopment of area identified on the basis of actual surveys. After notification of such clusters by GNCTD, the redevelopment scheme will have to be prepared by the concerned local body/land owning agency in consultation with the Society (to be formed by the land owners) based on the following norms/conditions:

- (i) The cluster should have direct approach from a road of at least 18 m R/W.
- (ii) Formation of Society shall be mandatory to facilitate preparation of redevelopment plan, pollution control and environmental management, development of services and parking and maintenance.

- (iii) Only permissible industries having clearance from DPCC shall be permitted.
- (iv) Amalgamation and reconstitution of plots shall be permissible for redevelopment.
- (v) All the units shall have to obtain the statutory clearances. The industrial units shall have separate electric connections.
- (vi) Other stipulations shall include—
 - (a) Minimum 10% area is to be reserved for circulation /roads/service lanes.
 - (b) Minimum 10% of semi-permeable surface for parking and loading/unloading areas.
 - (c) Minimum 10% of total area to be reserved for infrastructure requirements like CETP, Sub-Stations, Pump House, Fire Station, Police post, etc. as per the norms.
 - (d) Preparation of:
 - Plan for water supply from DJB/Central Ground Water Authority (wherever required) along with requirement for pumping stations, storage tanks, ground water recharging/rainwater harvesting.
 - Drainage plan as per norms.
 - (e) 8% of the cluster area shall be reserved for parks/green buffer.
 - (f) Plots measuring more than 100 sqm to have minimum 9.0 m. ROW.
 - (g) Plots measuring less than 100 sqm to have minimum 7.5 m. ROW.
 - (h) Common parking to be provided for plots below 60 sqm, whereas for plots above 60 sqm front set back (min. 3 m) shall be provided without boundary wall for parking and loading and unloading.
- (vii) Other provisions/development control norms shall be applicable as prescribed. Depending upon ground conditions, the Technical Committee of DDA may relax the norms up to 10%.

The redevelopment work may be undertaken by the societies voluntarily or by the concerned local body/agencies. In case the agencies take up the redevelopment work for execution, they shall collect the charges from the individual industries themselves directly. Requisite charges for change in land use, enhanced FAR and land (wherever applicable) would be required to be paid to the concerned Authority.

The redevelopment shall be completed within the period specified by the Delhi Development Authority, Local Bodies in this regard. Clusters, which fail to complete the redevelopment proposals within the period specified as above, shall have to shift to other conforming industrial areas and the units functioning in non-conforming clusters shall have to close down. In such cases, the licensing

authority will not renew / issue the licenses to industrial units without obtaining land use clearance from the competent authority. Further, no new licenses will be issued in non-conforming areas, without obtaining land use clearance.

The following areas shall not be eligible for industrial clusters redevelopment scheme :

Bungalow Zones (New Delhi & Civil Lines), the Ridge, River Bed (Zone-O), areas along water bodies, canals, sensitive areas from security point of view, conservation and heritage areas, reserved/protected forests, DDA flats, Cooperative Group Housing Societies, Government flats/bungalows/employer housing etc. and their immediate proximity.

7.7 New Industrial Areas

Development of new industrial areas in Greenfield areas of NCT of Delhi should be largely planned for the purpose of relocation of existing industries and for the development of a limited type of new industries for the following purposes:

- (a) Relocation of permissible industries from the non-conforming clusters that are not eligible for regularization development; and
- (b) Green field sites for Hi-tech industries.

New industrial activity in the NCT of Delhi should be restricted to hi-tech areas as given below :

- (i) Computer hardware and software industry and industries doing system integration using computer hardware and software.
- (ii) Packaging
- (iii) Industries integrating and manipulating the interfaces of the computers and telecom facilities.
- (iv) Industries catering to the information needs of users by providing databases or access to databases spread throughout the globe.
- (v) Industries providing the facilities for sophisticated testing of different or all components of the information technology.
- (vi) Electronic goods.
- (vii) Service and repair of TV and other electronic items.
- (viii) Photo composing and desktop publication.
- (ix) TV and video programme production.
- (x) Textile designing and fabric testing, etc.
- (xi) Biotechnology.
- (xii) Telecommunications and enabling services.
- (xiii) Gems and jewellery.

7.8 INDUSTRY USE ZONE-GUIDELINES

The sub-division of industrial use zone into use premises and subsequent approval of layout plans for industrial estates shall be governed by the following norms :

- (i) The new industrial areas to be developed may have plotted development for individual industrial units. The maximum size of industrial plots in new industrial areas shall be 400 sqm. except in already approved schemes.
- (ii) The provision of land for the required facilities in industrial areas shall conform to norms given in the Table 7.2.
- (iii) All New Industrial Estates shall have approach from a road of at least 30 m ROW.
- (iv) Plots measuring less than 100 sqm. and will face 9 m ROW roads whereas plots measuring more than 100 sqm. will face 12 m ROW roads.
- (v) Individual industrial plots facing main peripheral roads shall have access from dedicated service road after leaving green buffer.
- (vi) The listed water bodies and / or any water body above 1 Ha. size are mandatory to be systematically included in the landscape plan.
- (vii) Minimum 10m wide green buffer shall be provided along peripheral/access roads in the industrial areas.
- (viii) The provision of Rainwater harvesting as an integral part of the landscape and storm water drainage plan at the time of sanction of layout plan shall be prepared.
- (ix) The provision of minimum 30% of semi-permeable surface in all parking and loading/unloading areas.
- (x) Grease traps should be provided near automobile washing area.
- (xi) New Industrial areas should be located along major arterial roads. Major infrastructure network like CNG, LPG, oil, optical fibre, electricity, etc. to be made available along this corridor through underground pipelines.
- (xii) Optimum utilisation of industrial areas should be made by way of development of flatland factories complexes.
- (xiii) All industries should have provision for separating the solid waste before disposal. No untreated effluent shall be allowed to be discharged in the water bodies, open areas etc., outside the Industrial area. Primary treatment of the effluent shall be done at the plot level as per requirement.
- (xiv) The provision of CETPs, solid waste separation/treatment plants shall be made at the industrial cluster level.
- (xv) Proper disaster arrangements shall be made by the concerned agency for meeting any emergency situation arising due to fire, explosion, sudden leakage of gas or other natural calamities like earthquake, flood, etc.
- (xvi) Industries in future may be grouped on the basis of common requirements such as effluent treatment, interdependence and nuisance value (fire hazard, noise, etc.).
- (xvii) Selection of trees and plants shall be made keeping in view aspects such as distinctive avenue development, round the year flowering in park areas (either mixed or in cluster form) and shade requirements in specific areas.

Table 7.2 : Norms for Land Distribution in Industrial Areas

S. No.	Use Premises	Percentage
1.	Industrial Plots (Net Area)	55-60
2.	Recreational: Buffer Zone, Parks, Water Bodies, Green under HT lines, etc.	10-12
3.	Commercial: Shopping Centre, Petrol Pumps, Guest House/ Budget hotels, Lodging and Boarding, Service and Repair shops, Communication/ Telephone Exchange, etc.	2-3
4.	Facilities IPublic and Semi-Public: Fire Station/Fire Post, Police Station / Police Post, Hospital/ Dispensary, ITI / Polytechnic, Dharamshala, Night Shelter, Day Care Centre, etc. IUtilities: Electric Sub-Station, CETPs, Pumping Stations, Underground Reservoirs/ Fire Fighting Tanks and other utilities, etc.	8-10
5.	Transportation: Circulation, Loading/Unloading Area, Parking, ideal truck Parking, Goods Vehicle Parking etc.	18-20
	Total	100

Table 7.3 : Development Control Norms

Use Premises	Maximum			Parking standard ECS/ 100 sqm of floor area	Activities Permitted	Definition
	Gr. Cov. (%)	FAR	Ht (m)			
1	2			3	4	5
Industrial Plot						
(i) 50 sqm. and below	100	200	8	2	Industrial units: unit retail sales outlet and administrative office upto maximum 10% of floor area on ground floor only; residential flat upto the maximum extent of 5% of the floor space or 50 sqm. whichever is less for watch & ward and supervision, incidental storage [-] related to the industrial activity, commercial activity as per footnote (vi).	A premise for industrial activity having upto 50 workers with non-hazardous, non-polluting performance.
(ii) 51 sqm to 400 sqm.	60	180	15	2		
(iii) 401 sqm and above	50	150	15	2		
Flatted group Industry (Minimum plot size - 400 sqm.)	30	150	26	2	Industrial units: administrative office, watch and ward, maximum upto 5% of floor area or 20 sqm. whichever is less, storage related to the manufacturing activity, commercial activity as per footnote (vi).	A premise having a group of small industrial units having upto 20 workers with common services and facilities of non-hazardous, non-polluting nature.

Notes :

- (i) In case of plots upto 60 sqm. common parking shall be provided.
- (ii) In case of plots of size 500 sqm. and above, the utilities such as E.S.S., underground water storage tank, roof top water harvesting system, separate dry and wet dustbins, solar heating/lighting system etc. shall be provided within the plot.
- (iii) Identified Service Centres shall be planned as per plotted industrial area norms.
- (iv) Development of IT hardware and software permissible under industrial use.
- (v) Banquet hall shall be permissible in Industrial premise subject to specifications / regulations as may be prescribed, along with conversion charges.
- (vi) Industrial units/plots abutting roads of 24m ROW and above shall be eligible for conversion to commercial use within the existing development control norms, subject to payment of conversion charges computed on current market value of commercial area and cost of parking as decided by Government from time to time. The activities permissible in local shopping centres will be permitted in such plots. In addition, multi-level parking shall be permissible activity. However, this shall not be permitted on non-conforming/regularized industrial cluster. The above provision shall not affect the Supreme Court orders in any way.

ANNEXURE I

CLASSIFICATION OF INDUSTRIES

GROUP - A

HOUSEHOLD INDUSTRIES

1. Agarbatti and similar products
2. Aluminium hanger (excluding wire drawing and anodizing).
3. Ayurvedic / Homoeopathic/Unani medicines.
4. Assembly and repair of electronic goods.
5. Assembly and repair of sewing machines.
6. Assembly of hand tools.
7. Assembly of Badminton shuttlecocks.
8. Assembly and repair of electrical gadgets, cooler/heater etc.
9. Assembly and repair of typewriter (excluding Font Casting).
10. Assembly of Bakelite Switches.
11. Assembly and repair of measuring instruments (excluding handling of Mercury and hazardous materials).
12. Atta Chakkies.
13. Batik works.

14. Block making and photo enlarging.
15. Biscuit, pappey, cakes and cookies making.
16. Button making, fixing of button and hooks.
17. Bookbinding.
18. Brushes and brooms (by hand).
19. Calico and Textile products.
20. Cane and bamboo products.
21. Cassettes recording.
22. Clay and modeling with/without Plaster of Paris.
23. Coir and jute products.
24. Cardboard boxes.
25. Candles.
26. Copper and brass art wares.
27. Cordage, rope and twine making.
28. Carpentry.
29. Contact Lens.
30. Canvas bags and hold-alls making.
31. Candies, sweets, rasmalai etc. (when not canned).
32. Cotton/silk printing (by hand).
33. Computer repairing and cyber information Centre.
34. Computer Software.
35. Dari and carpet weaving.
36. Detergent (without bhatti).
37. Data processing.
38. Dairy products e.g. Cream, ghee, paneer, etc.
39. Dry Cleaning (excluding big workshops).
40. Desk Top Publishing.
41. Embroidery.
42. Enameling Vitreous (without use of coal).
43. Framing of pictures and mirrors.
44. Fountain pens, ball pens and felt pens.
45. Gold and Silver thread, kalabattu.
46. Hosiery products (without dyeing and bleaching).
47. Hats, caps, turbans including embroideries.
48. Information Technology enabled services
49. Ink making for fountain pens.
50. Interlocking and buttoning.
51. Jewellery items.
52. Khadi and handloom.
53. Khus tattis.
54. Knitting works.
55. Lace products.
56. Leather footwear.
57. Leather belts and assembly of buckles (by hand)
58. Leather and rexine made ups.
59. Milk Cream Separation.
60. Manufacture of Jute products.
61. Manufacture of Bindi.
62. Name plate making.
63. Production of following items:
 - (i) Blanco cakes.
 - (ii) Brushes.
 - (iii) Kulfi and confectionery.
 - (iv) Crayons.
 - (v) Jam, jellies and fruit preserves.
 - (vi) Musical instruments (including repairs).
 - (vii) Lace work and like.
 - (viii) Ornamental leather goods like purses, handbags.
 - (ix) Small electronic components.
64. Paper stationery items and book binding.
65. Pith hat, garlands of flowers and pitch.
66. P.V.C. products (maximum one moulding machine).
67. Paper machine.
68. Perfumery and cosmetics.
69. Photosetting.
70. Photostat and cyclostyling.
71. Photo copying of drawings including enlargement of drawings.
72. Packaging of Shampoos.
73. Packaging of Hair Oil.
74. Preparation of Vadi, Papad etc.
75. Processing of condiments, spices, groundnuts and dal etc.
76. Pan masala.
77. Production of Sweets and Namkeens (less than one ton/day)
78. Paper Mache.
79. Paper cup, Plates, files cover and letter pads (without printing).
80. Photography (developing and printing).
81. Repair of watches and clocks.
82. Rakhee making.
83. Repair of domestic electrical appliances.
84. Readymade garments (without washing).
85. Repair of bicycles.
86. Repair and assembly of computer hardware.
87. Repair of bags, brief cases, suitcases, except use of leather and PVC material.
88. Repairing of Water meters, stabilizer, UPS, etc.
89. Rubber Stamps.
90. Stone engraving.
91. Sports goods/Sports Nets.
92. Surgical bandage rolling and cutting.

93. Stove pipe, safety pins and aluminium buttons (by hand press).
94. Silver foil making.
95. Saree fall making.
96. Shoe laces.
97. Stamp pads.
98. Screen Printing.
99. Tailoring.
100. Thread balls and cotton fillings.
101. Toys and dolls.
102. Ties.
103. Tomato Ketchup.
104. Umbrella assembly.
105. Utensil washing powder (only mixing and packaging).
106. Velvet embroidered shoes/shawls.
107. Vermicelli and macaroni.
108. Wood carving and decorative wood wares.
109. Wool balling and lachee making.
110. Wooden/cardboard jewellery boxes (subject to no objection certificate from the department).
111. Wool knitting (with machine).
112. Zari Zardozi.

GROUP A-1**HOUSEHOLD INDUSTRIES PERMISSIBLE IN VILLAGES (ABADI)**

1. Blacksmithy.
2. Cane and bamboo products.
3. Clay and modelling with / without Plaster of Paris.
4. Dari/Carpet/Sari weaving (except dying & bleaching).
5. Ice cream and water-cooling by Refrigeration (without cold storage)
6. Stone engraving.
7. Village pottery Industry (without bhatti).
8. Village oil ghani.
9. Wood carving and decorative wood wares.

None of the industries mentioned in Group A and A-1 shall carry out the following processes:

- (i) Anodising
- (ii) Bleaching
- (iii) Burning of coal
- (iv) Canning Facility
- (v) Dyeing
- (vi) Electroplating
- (vii) Moulding works
- (viii) Use of CFC gases
- (ix) Varnishing

(x) Washing

Notes :

- (i) Storing of chemicals listed under schedule I and/or II of the Manufacture, Storage and Import of Hazardous Chemical Rules, 1989 and Public Liability Insurance Act, 1990 shall be prohibited.
- (ii) No effluent / emissions shall be allowed to be generated by the units and these shall adhere to the noise standards as stipulated by Ministry of Environment and Forests, Government of India.

ANNEXURE II**GROUP-B****INDUSTRIES PERMISSIBLE IN COMMERCIAL CENTRES**

1. Air Conditioner Parts
2. Aluminium doors/windows/fittings/furniture
3. Assembly and repair of Cycles
4. Auto Parts
5. Belts and Buckles
6. Bulbs (battery)
7. Cloth Dyeing
8. Cotton ginning
9. Cycle Chain/Locks
10. Diamond Cutting and Polishing work
11. Electric fittings (switch, plug pin etc.)
12. Elastic products
13. Engineering works
14. Foundry (small job works as per prescribed limits of Industries Department/DPCC)
15. Ice-cream and water cooling by Refrigeration. (without cold storage)
16. Ice boxes and cooler bodies
17. Iron grills and door making
18. Jute products
19. Key Rings
20. Knife making
21. Marble stone items
22. Metal lathe cutting
23. Motor winding works
24. Printing Press
25. Screws and nails
26. Scissors making
27. Spectacles and Optical frames
28. Steel Furniture/Almirah
29. Steel lockers
30. Steel Springs
31. Surgical instruments and equipments
32. Table lamps and shades
33. Tin box making
34. Transformer covers

35. TV, Radio, Cassette recorders etc
36. TV/Radio/Transistor cabinets
37. Typewriter parts manufacturing and assembly
38. Water meter repairing
39. Water tanks
40. Welding works
41. Wire Knitting
42. Wooden furniture works
43. Information Technology enabled Services

ANNEXURE III

PROHIBITED/NEGATIVE LIST OF INDUSTRIES

Industries manufacturing the following shall be prohibited within National Capital Territory of Delhi :

1. Arc/induction furnace
2. Acids
3. Alkalis
4. Animal & fish oils
5. Aldehydes
6. Acid slurry
7. Acetylides, phridines, iodoform, chloroform, E-nepthol, etc.
8. Ammonium sulphoajanide, arsenic and its compounds, barium carbonate, barium cyanide, barium ethyle sulphate, barium acetate cinnabar, copper sulphocyanide, ferrocyanide, hydro cyanide, hydro cyanic acid, potassium biocalate, potassium, cyanide, prussiate of potash, phynigallc acid, silver cyanide
9. Aircraft building.
10. Abattoirs, animal blood processing. (except existing and relocation)
11. Bitumen blowing (hot)
12. Brick kiln (using fresh earth as raw material, coal as fuel)
13. B-nepthol
14. Bakelite powder (starting from formaldehyde)
15. Barely malt and extract
16. Bone-grist, bone-meal, salting of bones, storages of bones in open, bone drying
17. Bone charcoal manufacturing
18. Blast furnaces - coal fired
19. Bicycles (integrated plant)
20. Brewery and potable spirits
21. Chlorinated paraffin wax purification
22. Carbon black
23. Cement industry
24. Calcium carbide, phosphorous, aluminium dust paste and powder, copper, zinc, etc. (electro-thermal industries)
25. Cranes, hoists and lifts (excluding assembly)
26. General industrial machinery (such as hydraulic equipments, drilling equipments, boilers, etc.)
27. DOP (Diocetyl Phthalate), DBP & Plasticizer
28. Dry cell battery
29. Dye & dye intermediates
30. Distillation of wood, chemical seasoning of wood (excluding natural seasoning)
31. Explosives, i.e., Fireworks, Gunpowder, Guncotton, etc.
32. Earth moving machinery/equipment (manufacturing of assembly)
33. Electric wires and cables (more than 100 workers, 2000 sqm plot)
34. Fatty acids
35. Fungicides & pesticides
36. Flexographic ink
37. Fuel oils, illuminating oils and other oils such as sthetic oil, shoal oil, lubricants
38. Foundries (except Pit Furnace)
39. Gas compressors
40. Graphite production
41. Glass furnace (more than 1 ton/day capacity)
42. Gases-carbon-disulphide, ultramarine blue, chlorine, hydrogen, sulphur dioxide, acetylene, etc. (other than LPG/CNG/Oxygen/medical gases)
43. Glandular/glandes extraction
44. Glue and gelatine from bones and flesh
45. Hot mix plant (except those approved by DPCC / CPCB)
46. Hazardous waste processing viz. hospital/medical/ industrial waste
47. Polyurethane foam
48. Industrial gelatine, nitro glycerine and fulminate
49. Iron / steel metal forging (using pneumatic hammer)
50. Industrial gelatine, nitro glycerine and fulminate
51. Industrial trucks, trailers, etc.
52. Linear alkyd benzene
53. Lead manufacturing including secondary lead industry (recovery of lead from waste scrap)
54. Lime kiln
55. Leather tanning and dyeing (raw hides/skins to semi finish)
56. Locomotives and wagons
57. Methanol
58. Methylated spirit
59. Mechanical stone crushers & washing of coarse sand
60. Manufacturing of pulp & paper

61. Melamine resin
62. Mineral salts (which involve use of acids: CuSO_4 , FeSO_4 , alum, etc.)
63. Manufacturing of diesel engines, generators except assembly
64. Motor cycles, scooters, cars, tempos, trucks, etc.
65. News print manufacturing, pulping, fresh paper making
66. Nitrogeneors and phosphatic fertilizers, except mixing of fertilizers for compounding (large scale)
67. Organic solvent, chlorinated minerals, methanol, aldehydes, methylated spirits
68. Petroleum coke processing, not as fuel
69. Potteries/refractories (using coal or furnace oil)
70. Polyethylene polymers including resins
71. Paint industry (nitro Cellulose & Alkyd resin based)
72. Plasticisers manufacturing
73. Pyridines
74. Phenol formaldehyde resin and powder
75. Porcelain product potteries (using coal of production capacity more than 2 tonne per day)
76. Rubber solution and thinner (using naptha and rubber scrap)
77. Roasting of Ore Sulphide Oxides of mixtures
78. Rayon fibre manufacturing
79. Refractories
80. Reclamation of rubber
81. Production of tyres and tubes (devulcanisation)
82. Saccharine
83. Secondary Zinc industry
84. Synthetic rubber
85. Smelting
86. Sewing machines (integrated units) except assembly
87. Sluice gates and gears
88. Stainless Steel Pickling
89. Steam engines
90. Steel pipes and tubes (continuous welded/seamless)
91. Sugar, khandsari
92. Sodium silicate industry (more than 1 tonne/day)
93. Stone quarrying
94. Textile (more than 100 workers in all shifts, 1 acre of land, 100 LKD of water)
95. Thorium, radium and similar isotopes and recovery of rare earth
96. Turbines
97. Urea & Phenyl Formaldehyde resin
98. Vegetable oil hydrogenated
99. Waste (crude/burnt) oil processing (refinery)

Notes :

- (i) A public utility service involving any of the activities referred to above shall be permitted subject to environmental laws.
- (ii) Further additions/alterations to the list of Prohibited Industries could be made if considered appropriate and in public interest by the Central Government to do so.